<u>सूची</u>
<u>विषय</u>
<u>भाग I: परिचय</u>
अध्याय I - प्रारंभिक
अध्याय II- परिभाषा
अध्याय III - पंजीकरण
<u>भाग II: विवेकपूर्ण मुद्दे</u>
अध्याय IV- पूंजी आवश्यकताएं
अध्याय V - विवेकपूर्ण विनियम
<u>भाग III: अभिशासकीय मुद्दे</u>
अध्याय VI - अधिग्रहण / नियंत्रण का अंतरण
<u>भाग IV: विविध मुद्दे</u>
अध्याय VII - एनबीएफसी द्वारा शाखा / सहायक / संयुक्त उद्यम / प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या विदेश में निवेश करना
अध्याय VIII - विविध अनुदेश
अध्याय IX- रिपोर्टिंग अपेक्षाएं
अध्याय X - व्याख्याएं
अध्याय XI - निरसन

अनुबंध

अनुबंध I- जमा न लेने वाली कोर निवेश कंपनी के तुलनपत्र की अनुसूची

अनुबंध II - गिरवी प्रतिभूति पर डाटा

अनुबंध III- कंपनी के प्रस्तावित प्रवर्तकों / निदेशकों / शेयरधारकों के बारे में जानकारी

अनुबंध IV - सीआईसी द्वारा एनसीडी (परिपक्वता 1 वर्ष से अधिक) के प्राइवेट प्लेसमेंट पर निदेश

अनुबंध V - सीआईसी द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन एवं आचार संहिता से संबंधित निदेश

भाग -I
परिचय

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(ए) ये निदेश, 2016 कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश कहलाएगा।

(ख) ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. प्रयोज्यता

(1) ये निदेश सभी कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) को लागू होंगे, यानि ऐसी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो शेयरों और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के व्यापार में हो और पिछले लेखा-परीक्षित तुलनपत्र की तारीख को निम्न शर्तों को संतुष्ट करती हो : -

i. यह इक्विटी शेयर, वरीयता शेयरों, बोण्ड्स, डिबेंचरों, ऋण या समूह की कंपनियों में ऋण में निवेश के रूप में उसकी शुद्ध परिसंपत्ति के 90% से कम नहीं रखती है;

ii. अपने समूह की कंपनियों में इक्विटी शेयरों में निवेश(जारी होने की तिथि से 10 वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर इक्विटी शेयरों में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय सहित) में अपनी शुद्ध परिसंपत्ति का कम से कम 60% ऊपर खंड (i) में उल्लिखित किए अनुसार रखती हो ;

बशर्ते इस प्रकार की सीआईसी का इन्विट्स में एक्सपोजर प्रायोजक के रूप में उनकी धारिता तक सीमित हो, और किसी भी समय इस संबंध में सेबी (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियमावली, 2014 तथा समय-समय पर यथासंशोधित में निर्धारित न्यूनतम यूनिट धारिता से अधिक न हो।

iii. विलय या विनिवेश के प्रयोजन के लिए ब्लॉक बिक्री के माध्यम से छोड़कर यह समूह की कंपनियों में शेयरों, बांडों, डिबेंचरों, ऋणों या अग्रिमों में अपने निवेश में व्यापार नहीं करती है;

iv. यह निम्नांकित को छोड़कर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45आई (सी) और 45आई(एफ़) में निर्दिष्ट किसी अन्य वित्तीय गतिविधि को नहीं करती है

(ए) इसमें निवेश

(i) बैंक में जमा राशि, रखना

(ii) मुद्रा बाजार के लिखत, मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड और लिक्विड म्यूचुअल फंड सहित

(iii) सरकारी प्रतिभूतियों, और

(iv) समूह की कंपनियों द्वारा जारी बॉण्ड या डिबेंचरों,

(बी) समूह की कंपनियों को ऋण देने और

(सी) समूह की कंपनियों की ओर से गारंटी जारी करना ।

(2) भारतीय रिज़र्व बैंक, इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे करना जरूरी है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) (आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 45-एनसी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार घोषणा करता है।

(i) अधिनियम की धारा 45-आईए के प्रावधान ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए लागू नहीं होगा जो कोर निवेश कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में निर्दिष्ट एक कोर निवेश कंपनी है और जो इन निदेशों के पैरा 3 के खंड (xxiv) में परिभाषित किए अनुसार एक प्रणालीगत महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनी नहीं है ।

(ii) अधिनियम की धारा 45-आइए(1)(बी) के प्रावधान ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए लागू नहीं होगा जो इन निदेशों के पैरा 3 के खंड (xxiv) में परिभाषित किए अनुसार एक प्रणालीगत महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनी है बशर्ते यह इन निदेश में निर्दिष्ट पूंजी आवश्यकताओं तथा लाभ अनुपात का अनुपालन करती है।

(iii) बैंक अगर किसी भी न्यायोचित और अन्य पर्याप्त कारण से किसी भी कठिनाई से बचने के लिए यह आवश्यक समझता है, तो इनमें से किसी या सभी निदेशों के प्रावधानों के पालन से सीआईसी-एनडी-एसआई को छूट या समय का विस्तार आम तौर पर या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए बैंक के द्वारा नियत शर्तों के अधीन प्रदान कर सकता है ।

(3) यह निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा जारी विनियमों को समेकित करता है। हालांकि बैंक के किसी अन्य विभाग द्वारा जारी अन्य निदेश कोर निवेश कंपनी पर लागू होंगे और उनका पालन करना होगा।

अध्याय-II

परिभाषाएँ

3. इन निदेश के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, शर्तों का निम्न अभिप्राय होगा -

(i) “समायोजित निवल मालियत” का अर्थ है"

ए) पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र में वित्तीय वर्ष के अंत में प्रदर्शित रूप में, नीचे (xx) में परिभाषित स्वाधिकृत निधियों का योग ।

बी) जो निम्नवत बढ़ाया गया हो:-

(ए) वित्त वर्ष के अंत में अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख को उद्धृत निवेशों के बही मूल्य में हुई वृद्धि की अवसूलित राशि का 50%, (निवेश के मूल्य में वृद्धि की गणना, उसके बही मूल्य की तुलना में उसके कुल बाजार मूल्य में हुई वृद्धि के अनुसार की जाएगी) तथा

(बी) अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख को इक्विटी शेयर पूंजी में हुई वृद्धि, यदि कोई हो तो.

सी) जो निम्नवत घटाया गया हो:-

(ए) उद्धृत निवेशों के बही मूल्य में घट गई राशि (जिसकी गणना निवेशों के बाजार मूल्य की तुलना में उसके बही मूल्य में हुई घटोतरी के अनुसार की जाएगी) और,

(बी) अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख से इक्विटी शेयर पूंजी में हुई घटोत्तरी, यदि कोई हो तो।

(ii) "बैंक" का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के तहत गठित भारतीय रिज़र्व बैंक

(iii) "ब्रेक अप मूल्य " का अर्थ है अमूर्त आस्तियों और पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व घटाकर निवेश कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित करके इक्विटी पूंजी और रिज़र्व से है;

(iv) "रखाव लागत" का अर्थ है अप्राप्त परिसंपत्ति और अर्जित ब्याज का बही मूल्य;

(v) "समूह में कंपनी" का अर्थ ऐसी व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक संस्थाओं (entities) का निम्नलिखित संबंधों में से किसी के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा रहना अर्थात सहायक कंपनी- मूल कंपनी (एएस 21 के प्रावधानों के तहत परिभाषित), संयुक्त उपक्रम (एएस 27 के प्रावधानों के तहत परिभाषित), सम्बद्ध (एएस 23 के प्रावधानों के तहत परिभाषित), प्रोमोटर -प्रोमोटी (सेबी विनियमन, 1997 (शेयरों का अधिग्रहण तथा टेकओवर) के आधार पर), सूचीबद्ध कंपनी के लिए, संबंधित पार्टी (एएस 18 के प्रावधानों के तहत परिभाषित) , समान ब्रांड वाले नाम तथा इक्विटी में 20% तथा अधिक का निवेश।

(vi) "व्यापार विनियमन आचार" का अर्थ है बैंक द्वारा समय-समय पर उचित व्यवहार संहिता और अपने ग्राहकों को जानिए पर जारी किए गए निदेश

(vii) "नियंत्रण" अर्थात भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का अधिग्रहण तथा टेकओवर) विनियम, 2011 के विनियम 2 के उप-विनियम(1) के खंड (ई) के अंतर्गत इसे दिया गया अर्थ।

(viii) "मौजूदा निवेश" एक निवेश है जो अपने स्वभाव से आसानी से वसूली योग्य है और करने की तारीख, से अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए धारित किया गया है;

(ix) "ग्राहक इंटरफ़ेस" अर्थात सीआईसी का अपने ग्राहकों के साथ इसके व्यापार से संबन्धित संपर्क

(x) "कमाई मूल्य" अर्थ एक इक्विटी शेयर का मूल्य जो कर के बाद मुनाफे का औसत निकालकर पूर्ववर्ती तीन साल के लिए वरीयता लाभांश और असाधारण और गैर आवर्ती मदों द्वारा घटाकर फिर निवेश कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से अभिकलन से विभाजित कर निम्न दर पर पूंजीकृत किया जाता है:

(ए) मुख्य रूप से विनिर्माण कंपनी के मामले में आठ प्रतिशत;

(बी) मुख्य रूप से कारोबार कंपनी के मामले में दस प्रतिशत; तथा

(सी) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित किसी भी अन्य कंपनी के मामले में बारह प्रतिशत;

नोट: अगर, एक निवेश कंपनी नुकसान उठा रही कंपनी है, तो कमाई मूल्य शून्य माना जाएगा;

(xi) "उचित मूल्य " का अर्थ है कमाई मूल्य और ब्रेक अप मूल्य का औसत;

(xii) "संकर कर्ज" ऐसे पूंजी लिखत हैं जो इक्विटी और कर्ज दोनों की कुछ विशेषताओं को धारण करते हैं

(xiii) "निवेश" का अर्थ है सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रतिभूतियां या अन्य बाजार प्रतिभूतियों की प्रकृति वाले या शेयर, स्टॉक, बॉण्ड, डिबेंचर अथवा प्रतिपूर्ति निवेश।

(xiv) “बुनियादी संरचना निवेश न्यास” का अर्थ ऐसी न्यास से है जो सेबी (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियमावली 2014 एवं समय-समय पर उसमें हुए संशोधन के अंतर्गत पंजीकृत हो।

(xv) "लंबी अवधि के निवेश " का अर्थ है वर्तमान निवेश के अलावा अन्य निवेश,

(xvi) "उद्धृत किए गए निवेशों के बाजार मूल्य" का अर्थ वित्तीय वर्ष, जिसके लिए तुलनपत्र उपलब्ध है, की समाप्ति से ठीक पूर्ववर्ती 26 सप्ताहों की अवधि के दौरन किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में जहां निवेश प्रमुखत: सक्रिय रूप से खरीदा - बेचा जाता (ट्रेड होता) रहा हो , में निवेश के उद्धृत किए गए उच्च तथा न्यून भावों का औसत।

(xvii) निवल परिपरिसंपत्ति का अर्थ कुल परिपरिसंपत्तियों में से निम्नलिखित को छोड़कर -

(i) नकदी एंव बैंक में जमाशेष;

(ii) मुद्रा बाजार लिखतों तथा मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड में निवेश ;

(iii) करों का अग्रिम भुगतान और

(iv) आस्थगित कर भुगतान

(xviii) "शुद्ध परिपरिसंपत्ति मूल्य" का अर्थ है विशेष योजना के संबंध में संबंधित म्यूचुअल फंड द्वारा नवीनतम घोषित शुद्ध परिपरिसंपत्ति मूल्य;

(xix) "शुद्ध बही मूल्य" का अर्थ है:

(ए) किराया खरीद परिसंपत्ति के मामले में, प्राप्य अतिदेय और प्राप्य भविष्य की किश्तों का कुल जिसमें से अपरिपक्व वित्त प्रभार और इसके बाद इन निदेशों के अनुच्छेद 17 (2) (i) के अनुसार किए गए प्रावधानों को घटाया है ;

(बी) किराए पर परिसंपत्ति के मामले में, प्राप्य रूप में लेखांकित अतिदेय लीज रेंटल के पूंजी हिस्से का योग और लीज़ परिसंपत्ति का ह्रास लगाया बही मूल्य जो पट्टे समायोजन खाते की शेष राशि से समायोजित किया हो।

(xx) "बाह्य देयताओं" का अर्थ "प्रदत्त पूंजी " तथा "रिज़र्व एंव अधिशेष" को छोड़कर, लिखत को जारी करने की तारीख से अधिकत्म 10 वर्ष की अवधि के अंदर अनिवार्य रूप से इक्विटी शेयर में बदल दिया गया हो, किंतु सभी प्रकार के कर्ज तथा देयताएं जिनमें कर्ज की सभी विशेषताएं हों चाहे वे संकर लिखत या अन्यथा जारी करके निर्मित किए गए हों तथा गारंटियों का मूल्य चाहे वे तुलन पत्र में दिखाए गए हों या नहीं सहित तुलनपत्र में देयता की ओर दिखाई देने वाली सभी देयताएं।

(xxi) "स्वाधिकृत निधि" का अर्थ है चुकता इक्विटी पूँजी, वरीयता शेयर जो इक्विटी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय है , फ्री रिज़र्व, शेयर प्रीमियम खाते और परिसंपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय से उत्पन्न अधिशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला पूंजी भंडार जिसमें परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के द्वारा बना रिज़र्व शामिल नहीं है और संचित हानि बैलेंस, अमूर्त आस्तियों के बही मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय के द्वारा कम, यदि कोई हो, को घटाया गया हो;

(xxii) इन निदेशों के प्रयोजन के लिए "सार्वजनिक जमा" का अर्थ वही होगा जैसा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमा की स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित किया गया है।

(xxiii) "सार्वजनिक निधि" अर्थात ऐसा निधि जो सार्वजनिक जमा के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुटाया गया हो, अंतर कार्पोरेट जमाराशियां, डेबेंचर, बैंक वित्त तथा वाणिज्यिक पत्र द्वारा बाहर से प्राप्त सभी फंड स्रोत रूप से निधि जुटाना इत्त्यादि किंतु लिखत को जारी करने की तारीख से अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से बदले गए इक्विटी शेयर से बनायी गई निधियों को छोड़कर।

(xxiv) "पर्याप्त हित" का अर्थ है एक व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा एक कंपनी के शेयरों में लाभकारी हित को धारण करना जो चाहे अकेले या एक साथ लिया गया हो और

जिस पर चुकता पूंजी कंपनी की या एक साझेदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा चुकता पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक हो।

(xxv) "संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कोर निवेश कंपनी(सीआईसी-एनडी-एसआई)" का अर्थ है सार्वजनिक निधियों का धारण या उगाही सहित अन्य कोर निवेश कंपनियों के साथ या तो समूह में समग्र या केवल अकेले की कुल परिपरिसंपत्ति ₹100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए।

(xxvi) "कुल परिपरिसंपत्ति" का अर्थ तुलनपत्र में परिपरिसंपत्ति की तरफ दिखायी जाने वाली कुल परिपरिसंपत्ति.

4. इन निदेशों में जिस शब्द या अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया गया है और परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन बैंक द्वारा जारी किए गए अधिनियम या निदेश में परिभाषित है, का अधिनियम या निर्देशों के तहत उन्हें दिया गया अर्थ माना जाएगा। इन निदेशों में इस्तेमाल किया कोई भी शब्द या भाव यदि इस निदेश या अधिनियम या बैंक द्वारा जारी किए गए निदेश में से किसी में परिभाषित नहीं किया गया हो तो उसका अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत उसे दिया गया अर्थ माना जाएगा।

अध्याय - III

पंजीकरण

5. प्रत्येक संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण - जमाराशियां न स्वीकार करने वाली कोर निवेश कंपनी (CIC-ND-SI) को, इस संबंध में पूर्व में जारी किसी भी सूचना के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा।

6. संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण- जमाराशियां न स्वीकार करने वाली कोर निवेश कंपनी (CIC-ND-SI) बनने की तारीख से तीन माह की अवधि के अंदर भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन करनी होगी।

7. भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण की छूट प्राप्त करने वाली प्रत्येक कोर निवेश कंपनी को एक बोर्ड संकल्प पास करना होगा कि भविष्य में यह सार्वजनिक निधियों को नहीं जुटाएगी। तथापि, कोर निवेश कंपनियों को उनके द्वारा अथवा उनकी समूह संस्थाओं की तरफ से ली गई अन्य आकस्मिक देनदारियों पर गारंटी जारी करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के पूर्व, कोर निवेश कंपनियां यह अवश्य सुनिश्चित

करें कि इसके तहत जब और जैसे कोई दायित्व उत्पन्न होगा वे उसे पूरा करेंगी। विशेष रूप से, कोर निवेश कंपनियां, जिन्हें पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है उन्हें सार्वजनिक निधियों के आश्रय के बगैर देनदारी के अंतरण की स्थिति के लिए आवश्यक रूप से तैयार रहना होगा, अन्यथा सार्वजनिक निधियों तक अभिगमन के पूर्व उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण के लिए अनुरोध करना होगा। ₹100 करोड़ से अधिक परिपरिसंपत्ति वाली अपंजीकृत कोर निवेश कंपनी यदि भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किये बगैर सार्वजनिक निधियों तक अभिगमन करती है तो इसे कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश 2016 के उल्लघंन के रूप में देखा जाएगा।

भाग - II
विवेकपूर्ण मुद्दे

अध्याय - IV
पूंजीगत अपेक्षाएं

8. सीआईसी-एनडी-एसआई का न्यूनतम पूंजी अनुपात हमेशा इस प्रकार बनाए रखना चाहिए कि वित्त वर्ष के अंत में उसके अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख को उसकी समायोजित निवल मालियत तुलनपत्रगत परिपरिसंपत्तियों के समग्र जोखिम भार तथा तुलन पत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के 30% से कम न हो।

स्पष्टीकरण

तुलनपत्र की परिपरिसंपत्तियों के संबंध में

(1) इन निदेशों में, ऋण जोखिम की मात्रा के रूप में व्यक्त प्रतिशत भार को तुलनपत्र की परिपरिसंपत्ति से लिया गया है। अत: परिपरिसंपत्ति के जोखिम समायोजित मूल्य को प्राप्त करने के लिए परिपरिसंपत्ति/ मद को संबंधित जोखिम भार से गुणा किया जाता है। पूंजी अनुपात की गणना में सकल को लिया जाए। जोखिम भार परिपरिसंपत्तियों की गणना निम्नलिखित कुल भार निधि मद के विवरण के अनुसार किया जाए।

भारित जोखिम परिपरिसंपत्तियां -तुलनपत्र में दी गई मदों के संबंध में	प्रतिशतता भार
(i) नकद और बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट सहित बैंकों के पास जमा प्रमाणपत	0
(ii) निवेश	
(ए) अनुमोदित प्रतिभूतियां (निम्न में से (सी) के अलावा)	0
(बी) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बॉण्ड	20
(सी) सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के बॉण्ड / फिक्स्ड डिपॉजिट / जमा प्रमाणपत्र	100

(डी) सभी कंपनियों के शेयर तथा सभी कंपनियों के डिबेंचर/ बॉण्ड/ वाणिज्यिक पत्र तथा म्युनुअल फंडस के यूनिटें	100
iii) चालू परिपरिसंपत्ति	
(ए) किराये पर स्टॉक (निवल बही मूल्य)	100
(बी) अंतर- कंपनी ऋण / जमा	100
(सी) कंपनी के द्वारा ही धारित जमाराशियों की पूरी जमानत पर ऋण	0
(डी) स्टॉफ को ऋण	0
(ई) अन्य जमानती ऋण और अग्रिम जिन्हें अच्छा पाया गया है। (नीचे vi) को छोड़कर	100
(एफ) भुनाए गए / खरीदे गए बिल	100
(जी) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	100
(iv) अचल परिपरिसंपत्ति (मूल्यह्रास घटाने के बाद)	
ए) पट्टे पर दी गई परिपरिसंपत्तियां (निवल बही मूल्य)	100
(बी) परिसर	100
(सी) फर्निचर और फिक्सचर	100
(v) अन्य परिपरिसंपत्तियां	
(ए) स्रोत पर काटे गए आयकर (प्रावधान घटाकर)	0
(बी) अदा किया गया अग्रिम कर (प्रावधान घटाकर)	0
(सी) सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज	0
(डी) अन्य (स्पष्ट किया जाए)	100
(vi) घरेलू राष्ट्रिक	
(ए) केन्द्र सरकार पर निधि आधारित दावे	0
(बी) प्रत्यक्ष ऋण / क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट जोखिम और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश	0
(सी) केंद्र सरकार की गारंटी के दावे	0
(डी) राज्य सरकार के गारंटी के दावे जो चूक में नहीं रहे है /जो 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए डिफ़ॉल्ट में नहीं हैं	20
(ई) राज्य सरकार के गारंटी के दावे जो 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए डिफ़ॉल्ट में नहीं हैं	100

टिप्पणी :

(i) नेटिंग घटाने का कार्य केवल उन्हीं परिपरिसंपत्तियों के संबंध में किया जाए जिनमें मूल्यह्रास या अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किए गए हों।

(ii) निवल स्वाधिकृत निधि की गणना के लिए जिन परिपरिसंपत्तियों को स्वाधिकृत निधि से घटाया गया है उस पर भार "शून्य" होगा।

(iii) जोखिम भार लगाने के प्रयोजन से किसी उधारकर्ता के समग्र निधिक जोखिम की गणना करते समय, सीआईसी-एनडी-एसआई उधारकर्ता के खाते में कुल बकाया अग्रिमों से नकदी मार्जिन/ प्रतिभूति जमा/ जमानती राशि रूपी संपार्श्विक प्रतिभूति, जिसकी सेट ऑफ के लिए अधिकार उपलब्ध है, का समायोजन कर सकती है ।

(iv) सीआईसी-एनडी-एसआई के (संपार्श्वीकृत उधार और ऋण्दायी बाध्यताएं / CBLOs) प्रतिभूतियों में किए गए वित्तीय लेनेदेनों के कारण जो जोखिम प्रतिपक्षी क्रेडिट रिस्क के रूप में उत्पन्न होते हैं, उन पर जोखिम भार शून्य होगा क्योंकि इनके बाबत यह माना जाता है कि भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के प्रति प्रतिपक्ष से हुए जोखिम दैनिक आधार पर पूर्णत: संपार्श्विक प्रतिभूति से अवतरित होते हैं जो केंद्रीय प्रतिपक्ष पार्टी (CCP) के क्रेडिट रिस्क को सुरक्षा प्रदान करते है। तथापि, सीआईसी-एनडी-एसआई द्वारा भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) के पास रखी जमाराशियों/ समपार्श्विक प्रतिभूतियों के लिए जोखिम भार 20% होगा।

तुलन पत्र से इत्तर मद

2. इन निदेशों में, तुलनपत्र से इतर मदों से संबंद्ध ऋण जोखिम (एक्सपोजर) की मात्रा को ऋण परिवर्तन कारक के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। अत: तुलनपत्र से इत्तर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य की गणना के लिए सबसे पहले प्रत्येक मद के अंकित मूल्य को उसके संगत परिवर्तन कारक (कंवर्सन फैक्टर) से गुणा करना होगा। इसके सकल को न्यूनतम पूंजी अनुपात निकालने के लिए हिसाब में लिया जाएगा। इसे पुन: जोखिम भार 100 से गुणा किया जाएगा। तुलनपत्र से इत्तर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य की गणना , गैर - निधिक मदों के क्रेडिट परिवर्तन कारकों द्वारा निम्नानुसार की जाएगी:-

मद का स्वरूप	क्रेडिट परिवर्तक कारक प्रतिशत
i) वितीय तथा अन्य गारंटियां	100
ii) शेयर / डिबेंचर हामीदारी दायित्व	50
iii) आंशिक प्रदत्त शेयर/ डिबेंचर	100

iv) भुनाए/ पुन: भुनाए गए बिल	100
v) किए गए पट्टा करार जो निष्पादित होने हैं	100

लीवरेज़ (Leverage) अनुपात

9. सीआईसी-एनडी-एसआई यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी बाह्य देयताएं वित्त वर्ष के अंत में उसके अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख को उस समायोजित निवल मालियत के 2.5 गुने से अधिक न हों।

अध्याय - V
विवेकपूर्ण विनियम

10. सीआईसी-एनडी-एसआई के लिए लागू विवेकपूर्ण विनियम इन निदेशों के अनुच्छेद 3 के खंड (xxiv) में परिभाषित किए अनुसार होंगे।

11. आय निर्धारण

(i) आय निर्धारण, मान्यता प्राप्त लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा।

(ii) ब्याज/छूट/किराया प्रभार / पट्टे का किराया या एनपीए पर कोई अन्य शुल्क सहित आय को तभी मान्यता प्राप्त होगी जब यह वास्तव में प्राप्त किया है। इस तरह की कोई भी आय जो परिसंपत्ति के गैर-निष्पादित होने के पहले मान्यता दी गई हो और प्राप्त न हो तो इसे रिवर्स किया जाएगा।

12.निवेश से आय

(I) कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश और म्युचुअल फंड की यूनिटों से होने वाली आय नकदी आधार पर गणना में रखी जाएगी:

बशर्ते कि कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश से होने वाली आय जब इस तरह के लाभांश को उपचय के आधार पर गणना में रखा जाएगा यदि निगमित निकाय द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में घोषित किया गया है और सीआईसी के भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित है ।

(ii) कारपोरेट निकायों के बॉण्ड और डिबेंचर और सरकारी प्रतिभूतियों/बॉण्ड से आय उपचय के आधार पर गणना में रखा जाएगा :

बशर्ते कि इन लिखतों पर ब्याज दर पूर्व निर्धारित होता है और ब्याज नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है और राशि बकाया में नहीं है।

(iii) कारपोरेट निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों पर आय, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा ब्याज के भुगतान और मूलधन की चुकौती की गारंटी ली गई हो, को उपचय के आधार पर गणना में रखा जाएगा।

13.लेखांकन मानक

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इन निदेशों में इसे "आईसीएआई" में कहा गया है) द्वारा जारी किए गए लेखा मानक और मार्गदर्शी नोट्स जब तक इन निदेशों में से किसी के साथ असंगत नहीं हैं , का अनुपालन किया जाएगा।

14.निवेश का लेखांकन

(1) (ए) प्रत्येक सीआईसी-एनडी-एसआई का निदेशक मंडल कंपनी के लिए निवेश नीति तैयार करेगा और इसे लागू करेगा;

(बी) निवेश नीति में कंपनी का बोर्ड निवेश को वर्तमान और लंबी अवधि के निवेश में वर्गीकृत करने के लिए नीति सूचित करेगा;

(सी) प्रतिभूतियों में निवेश को प्रत्येक निवेश करने के समय में, वर्तमान और लंबी अवधि में वर्गीकृत किया जाएगा;

(डी) अंतर-वर्ग के अंतरण के मामले में -

(i) ऐसी कोई हस्तांतरण तदर्थ आधार पर नहीं होंगे;

(ii) इस तरह के हस्तांतरण, अगर आवश्यक हो, केवल प्रत्येक छमाही की शुरुआत में 1 अप्रैल या 1 अक्तूबर को, मंडल के अनुमोदन से प्रभावित होगा;

(iii) निवेश बही मूल्य या बाजार मूल्य पर, जो भी कम हो, वर्तमान से लंबी अवधि या प्रतिकूल स्क्रिप-वार अंतरण किया जाएगा;

(iv) मूल्यह्रास, यदि कोई हो, की प्रत्येक स्क्रिप में पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी और बढ़ोतरी, यदि कोई हो, को नजरअंदाज किया जाएगा;

(v) एक ही श्रेणी के शेयरों के संबंध में,इस तरह के अंतर-वर्ग के हस्तांतरण के समय में एक स्क्रिप में गिरावट दूसरे स्क्रिप में वृद्धि के खिलाफ सेट ऑफ नहीं किया जाएगा।

(2) (ए) उद्धरित मौजूदा निवेश, मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, निम्न श्रेणियों, में समूहबद्ध किया जाएगा।

(i) इक्विटी शेयर,

(ii) वरीय शेयर,

(iii) डिबेंचर और बॉण्ड,

(iv) ट्रेजरी बिलों सहित सरकारी प्रतिभूति,

(v) म्यूचुअल फंड की इकाइयां, और

(vi) अन्य।

(ख) प्रत्येक श्रेणी के लिए उद्धृत मौजूदा निवेश लागत या बाजार मूल्य जो भी कम हो, में आंका जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक श्रेणी में निवेश शेयर-वार और प्रत्येक श्रेणी में सभी निवेश के लिए एकत्रित लागत और बाजार मूल्य पर विचार किया जाएगा। अगर श्रेणी के लिए कुल बाजार मूल्य उस वर्ग के लिए कुल लागत की तुलना में कम है तो शुद्ध मूल्यह्रास प्रावधान किया जाएगा या लाभ और हानि खाते में वसूल किया जाएगा। यदि श्रेणी के लिए कुल बाजार मूल्य वर्ग के लिए कुल लागत से अधिक है, तो शुद्ध बढ़ोतरी की अनदेखी कर दी जाएगी। निवेश में से एक श्रेणी में मूल्यह्रास को अन्य श्रेणी में बढ़ोतरी के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा।

(3) मौजूदा निवेश की प्रकृति में गैर उद्धृत इक्विटी शेयर लागत या ब्रेक अप मूल्य, जो भी कम हो, में आंका जाएगा। हालांकि, सीआईसी-एनडी-एसआई, यदि आवश्यक हो तो, शेयरों का ब्रेक अप मूल्य के लिए उचित मूल्य स्थानापन्न कर सकता है। जहां निवेशक कंपनी के तुलन पत्र को दो साल के लिए उपलब्ध नहीं है, इस तरह के शेयरों का मूल्य केवल एक रुपया आंका जाएगा।

(4) मौजूदा निवेश की प्रकृति में गैर उद्धृत वरीय शेयरों को लागत या अंकित मूल्य, जो भी कम हो, में आंका जाएगा।

(5) गैर उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों या सरकार की गारंटी बॉण्ड में निवेश वहन लागत में आंका जाएगा।

(6) मौजूदा निवेश की प्रकृति में म्युचुअल फंड की यूनिटों में गैर उद्धृत निवेश विशेष योजना के संबंध में म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित शुद्ध परिपरिसंपत्ति मूल्य में आंका जाएगा।

(7) वाणिज्यिक पत्र वहन लागत (Carrying Cost) में मूल्यांकित की जाएगा।

(8) एक दीर्घकालिक निवेश आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा मानक के अनुसार मूल्यांकित किया जाएगा।

नोट: आय मान्यता और परिपरिसंपत्ति वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए गैर-उद्भूत डिबेंचर, डिबेंचर की अवधि के आधार पर मीयादी ऋण या इस तरह की ऋण सुविधाओं के अन्य प्रकार के रूप में माना जाएगा।

15. मांग / कॉल ऋणों पर नीति की आवश्यकता

(1) प्रत्येक सीआईसी-एनडी-एसआई का निदेशक बोर्ड मांग / कॉल ऋण देने/देने का इरादा रखने के लिए कंपनी के लिए एक नीति तैयार करेगा और इसे लागू करेगा ।

(2) इस तरह की पॉलिसी में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल होगा,-

(i) एक अंतिम तिथि जिसके भीतर मांग की अदायगी या कॉल ऋण की मांग की जाएगी;

(ii) मंजूरी प्राधिकारी को मांग या कॉल ऋण मंजूर करने और अगर मांग या कॉल ऋण की अवधि इस तरह के ऋण को मांग या कॉल-अप करने की कट-ऑफ तारीख मंजूरी की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद निर्धारित की गई है तो लिखित रूप में विशिष्ट कारणों को रिकॉर्ड करना चाहिए।

(iii) इस तरह के ऋण पर देय ब्याज की दर;

(iv) ऐसे ऋण पर ब्याज, निर्धारित रूप में या तो मासिक या तिमाही अंतराल पर देय होगा;

(v) मंजूरी देने वाला प्राधिकारी, मांग या कॉल ऋण मंजूर करते समय यदि या कोई ब्याज निर्धारित नहीं किया गया है या किसी भी अवधि के लिए स्थगन प्रदान किया जाता है तो लिखित रूप में विशिष्ट कारणों को रिकॉर्ड करना चाहिए।

(vi) ऋण के निष्पादन की समीक्षा के लिए मंजूरी की तारीख से छह महीने से अनधिक एक कट ऑफ तारीख हो;

(vii) ऐसी मांग या कॉल ऋण का नवीकरण नहीं किया जाएगा जब तक आवधिक समीक्षा मंजूरी की शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं दिखाती है ।

16. आस्ति वर्गीकरण

(1) प्रत्येक सीआईसी-एनडी-एसआई, अच्छी तरह से परिभाषित क्रेडिट कमजोरियों के स्तर और प्राप्ति के लिए जमानत सुरक्षा पर निर्भरता को ध्यान में रखकर, अपने पट्टे / खरीद परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम और क्रेडिट के किसी भी अन्य रूपों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत करेगी यथा:

(i) मानक परिपरिसंपत्तियां;

(ii) अव-मानक परिपरिसंपत्तियां;

(iii) संदिग्ध परिपरिसंपत्तियां; तथा

(iv) हानि परिपरिसंपत्ति।

(2) ऊपर उल्लिखित परिपरिसंपत्तियों की श्रेणी केवल पुनर्निर्धारण के कारण उन्नयन नहीं किया जाएगा यदि वह उन्नयन के लिए आवश्यक शर्तों को संतुष्ट नहीं करती है।

(3) **₹500 करोड़ से कम कुल परिपरिसंपत्ति के साथ सीआईसी-एनडी-आई के लिए की परिपरिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड इस प्रकार होगा:**

(i) मानक परिपरिसंपत्ति के संबंध में परिसंपत्ति का अर्थ होता है, जिसमें मूल या ब्याज के भुगतान की अदायगी में कोई चूक नहीं हुई है और जो किसी भी समस्या को प्रदर्शित नहीं करता या कारोबार से जुड़े सामान्य जोखिम की तुलना में अधिक जोखिम वहन नहीं करता है;

(ii) अवमानक परिपरिसंपत्ति का अर्थ होगा

(ए) ऐसी परिपरिसंपत्ति जिसे 18 महीने से अनधिक की अवधि के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(बी) ऐसी परिपरिसंपत्ति जहां ब्याज और / या मूलधन के बारे में समझौते की शर्तों पर फिर से बातचीत की गई है या समय में परिवर्तन या परिचालन शुरू होने के बाद पुनर्गठित की गई है, फिर से बातचीत या समय में परिवर्तन या पुनर्गठन शर्तों के तहत संतोषजनक निष्पादन के एक वर्ष की समाप्ति तक:

(iii) संदिग्ध परिसंपत्ति का आशय होगा:
एक मीयादी ऋण, या
एक पट्टा परिपरिसंपत्ति, या
एक किराया खरीद परिपरिसंपत्ति, या
कोई अन्य परिपरिसंपत्ति,
जो 18 महीने से अधिक अवधि के लिए एक अवमानक परिपरिसंपत्ति रहती है;

(iv) हानि परिपरिसंपत्ति का अर्थ होगा:

(ए) ऐसी परिपरिसंपत्ति जो सीआईसी-एनडी-एसआई के अपने आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षक द्वारा या बैंक द्वारा निरीक्षण के दौरान सीआईसी-एनडी-एसआई हानि परिपरिसंपत्ति के रूप में पहचान की गई है, इस हद तक के सीआईसी-एनडी-एसआई ने इसे बट्टे खाते नहीं डाला है; तथा

(बी) ऐसी परिपरिसंपत्ति जो मूल्य में या तो घटाव के कारण गैर वसूली या प्रतिभूति की अनुपलब्धता या उधारकर्ता की ओर से चूक या धोखाधड़ी के एक संभावित खतरे के कारण प्रभावित है।

(v) गैर-निष्पादित परिपरिसंपत्ति (इन निदेशों में "एनपीए" कहा गया है) का अर्थ है:

(ए) ऐसी परिपरिसंपत्ति है, जिनके संबंध में, ब्याज छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय बना हुआ है;

(बी) बकाया ब्याज सहित मीयादी ऋण जब किस्त छह महीने या उससे अधिक की अवधि या ब्याज की राशि छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय बनी रहे;

(सी) ऐसा मांग या कॉल ऋण है, जो मांग या कॉल की तारीख से छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय है या जिस पर ब्याज की राशि छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए बकाया हो गया है;

(डी) ऐसा बिल जो छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है;

(ई) अल्पावधि ऋण/अग्रिम की प्रकृति में एक ऋण या 'अन्य मौजूदा परिपरिसंपत्तियों' के तहत प्राप्तियों पर आय के संबंध में ब्याज जो छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय बना रहे

(एफ़) परिपरिसंपत्ति की बिक्री या प्रदत्त सेवाओं या खर्च व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण कोई भी बकाया जो छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए बकाया हो गया;

(जी) पट्टे किराए और किराया खरीद किस्त, जो बारह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो गयी है;

(एच) ऋण, अग्रिम और अन्य ऋण सुविधाओं (खरीदे और बट्टे बिल सहित) ऋण सुविधाओं के बकाया शेष (अर्जित ब्याज सहित) जो ऋण सुविधाओं के तहत उधारकर्ता / लाभार्थी को उपलब्ध कराया गया था और उपरोक्त कोई भी सुविधा गैर निष्पादक हो गई है:

परंतु पट्टे और किराया खरीद लेनदेन के मामले में एक सीआईसी-एनडी-एसआई वसूली के अपने रिकॉर्ड के आधार पर इस तरह के प्रत्येक खाते को वर्गीकृत कर सकते हैं।

(4) **₹500 करोड़ या अधिक कुल परिपरिसंपत्ति के साथ सीआईसी-एनडी-आई के लिए की परिपरिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड इस प्रकार होगा:**

(i) मानक परिपरिसंपत्ति के संबंध में परिपरिसंपत्ति का अर्थ होता है, जिसमें मूल या ब्याज के भुगतान की अदायगी में कोई चूक नहीं हुई है और जो किसी भी समस्या को प्रदर्शित नहीं करता या कारोबार से जुड़े सामान्य जोखिम की तुलना में अधिक जोखिम वहन नहीं करता है;

(ii) अवमानक परिपरिसंपत्ति का अर्थ होगा

(ए) ऐसी परिपरिसंपत्ति जिसे 18 महीने से अनधिक की अवधि के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

बशर्ते इस उपखंड में निर्धारित अवधि '18 महीने से अनधिक' वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2016 के लिए '16 महीने अनधिक' और 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए '14 महीने से अनधिक' और 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष और उसके बाद के वर्षो के लिए '12 महीने से अनधिक' होगा।

(बी) ऐसी परिपरिसंपत्ति जहां ब्याज और/या मूलधन के बारे में समझौते की शर्तों पर फिर से बातचीत की गई है या समय में परिवर्तन या परिचालन शुरू होने के बाद पुनर्गठित की गई है, फिर से बातचीत या समय में परिवर्तन या पुनर्गठन शर्तों के तहत संतोषजनक निष्पादन के एक वर्ष की समाप्ति तक:

(iii) संदिग्ध परिपरिसंपत्ति का अर्थ होगा:

(ए) एक मीयादी ऋण, या

(बी) एक पट्टा परिपरिसंपत्ति, या

(सी) एक किराया खरीद परिपरिसंपत्ति, या

(डी) कोई अन्य परिपरिसंपत्ति,

जो '18 महीने से अधिक' 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, ' 16 महीने अधिक' 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, '14 महीने से अधिक' 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए और '12 महीने से अधिक' 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले आगे के वित्तीय वर्ष के लिए होगा।

(iv) हानि परिपरिसंपत्ति का अर्थ होगा:

(ए) ऐसी परिपरिसंपत्ति जो 500 करोड़ और अधिक परिपरिसंपत्ति वाली सीआईसी-एनडी-एसआई के अपने आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षक द्वारा या बैंक द्वारा निरीक्षण के दौरान सीआईसी-एनडी-एसआई हानि परिपरिसंपत्ति के रूप में पहचान की गई है, इस हद तक के सीआईसी-एनडी-एसआई ने इसे बट्टे खाते नहीं डाला है; तथा

(बी) ऐसी परिपरिसंपत्ति जो मूल्य में या तो घटाव के कारण गैर वसूली या प्रतिभूति की अनुपलब्धता या उधारकर्ता की ओर से चूक या धोखाधड़ी के एक संभावित खतरे के कारण प्रभावित है।

(v) गैर-निष्पादित परिपरिसंपत्ति (इन निदेशों में "एनपीए" कहा गया है) का अर्थ है:

(ए) ऐसी परिपरिसंपत्ति, जिनके संबंध में, ब्याज छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय बना हुआ है;

(बी) बकाया ब्याज सहित मीयादी ऋण जब किस्त छह महीने या उससे अधिक की अवधि या ब्याज की राशि छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय बनी रहे;

(सी) ऐसी मांग या कॉल ऋण है, जो मांग या कॉल की तारीख से छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय है या जिस पर ब्याज की राशि छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए बकाया हो गयी है;
(डी) ऐसी बिल जो छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है;
(ई) अल्पावधि ऋण/अग्रिम की प्रकृति में एक ऋण या 'अन्य मौजूदा परिपरिसंपत्तियों' के तहत प्राप्तियों पर आय के संबंध में ब्याज जो छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय बने रहे
(एफ़) परिपरिसंपत्ति की बिक्री या प्रदत्त सेवाओं या खर्च व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण कोई भी बकाया जो छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए बकाया हो गया;

बशर्ते इस उपखंड (ए) से (एफ़) में निर्धारित अवधि '06 महीने और अधिक' वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2016 के लिए '05 महीने और अधिक' और 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 04 महीने और अधिक' और 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष और आगे के लिए 03 महीने और अधिक' होगा।

(जी) पट्टे किराए और किराया खरीद किस्त, जो बारह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो गया है;
बशर्ते इस उपखंड में निर्धारित अवधि '12 महीने और अधिक' वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2016 के लिए '09 महीने और अधिक' और 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए '06 महीने और अधिक' और 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष और आगे के लिए '03 महीने और अधिक' होगा।

(एच) ऋण, अग्रिम और अन्य ऋण सुविधाओं (खरीदे और बट्टे बिल सहित) ऋण सुविधाओं के बकाया शेष (अर्जित ब्याज सहित) जो ऋण सुविधाओं के तहत उधारकर्ता / लाभार्थी को उपलब्ध कराया गया था और उपरोक्त कोई भी सुविधा गैर निष्पादक हो गई है:
बशर्ते पट्टे और किराया खरीद लेनदेन के मामले में एक 500 करोड़ और अधिक परिसंपत्ति वाली सीआईसी-एनडी-एसआई वसूली के अपने रिकार्ड के आधार पर इस तरह के प्रत्येक खाते को वर्गीकृत कर सकते हैं।

17. प्रावधानीकरण अपेक्षाएं

प्रत्येक सीआईसी-एनडी-एसआई खाता गैर-निष्पादक बनने, के रूप में पहचान होने, प्रतिभूति की वसूली और भारित प्रतिभूति के मूल्य में समय के साथ घटाव के बीच के समय अंतराल को गणना में लेने के

बाद अव मानक परिसंपतियों, संदिग्ध परिपरिसंपत्तियों और हानि की परिपरिसंपत्ति के एवज में निम्नानुसार प्रावधान करेगा:-

ऋण, अग्रिम सहित अन्य ऋण सुविधाएं जिसमें खरीदे गए और भुनाए बिल शामिल हैं-

(1) ऋण, अग्रिम सहित अन्य ऋण सुविधाएं जिसमें खरीदे गए और बट्टे खाते बिल शामिल हैं, के संबंध में प्रावधानीकरण आवश्यकता निम्नानुसार होगी:

(i) हानि परिपरिसंपत्तियां	पूरी परिपरिसंपत्ति बट्टे खाते डाली जाएगी। यदि परिपरिसंपत्ति किसी भी कारण से बही में रखने के लिए अनुमति दी जाती है, तो 100% बकाया के लिए प्रावधान किया जाएगा;
(ii) संदिग्ध परिपरिसंपत्तियां	(ए) जिस अग्रिम सीआईसी-एनडी-एसआई के पास वैध अधिकार है और प्रतिभूति वसूली योग्य मूल्य द्वारा कवर नहीं है, 100% सीमा तक प्रावधान होगा। वसूली योग्य मूल्य का एक वास्तविक आधार पर अनुमान लगाया जाएगा; (बी) उपर्युक्त मद (ए) के अलावा जिस अवधि के लिए परिपरिसंपत्ति संदिग्ध बनी हुई है, जमानती अंश के 20% से 50% की सीमा तक (यानी बकाया का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य) प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा: -
जिस अवधि के लिए परिपरिसंपत्ति को संदिग्ध माना गया है	**प्रावधान का प्रतिशत**
एक साल तक	20
एक से तीन साल के लिए	30
तीन साल से अधिक	50
(iii) अव-मानक परिपरिसंपत्तियां	कुल बकाया का 10 प्रतिशत का एक सामान्य प्रावधान किया जाएगा।

(2) पट्टा और किराया खरीद की परिपरिसंपत्ति - पट्टा और किराया खरीद की परिपरिसंपत्ति के संबंध में प्रावधानीकरण आवश्यकता निम्नानुसार होंगी:

(i) किराया खरीद की परिपरिसंपत्ति- किराया खरीद परिपरिसंपत्तियों के संबंध में कुल बकाया राशि (अतिदेय और भविष्य किस्तों को एक साथ लेकर) निम्न से घटाया जाए-

(ए) लाभ और हानि खाते में जमा न किया वित्त प्रभार और अपरिपक्व वित्त प्रभार के रूप में आगे बढ़ाया गया ; तथा

(बी) अंतर्निहित परिसंपत्ति का मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस पैरा के प्रयोजन के लिए,

(1) परिसंपत्ति का मूल्य ह्रास की नोशनल आधार पर परिसंपत्ति की मूल लागत में एक सीधी रेखा विधि पर प्रतिवर्ष बीस प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास के द्वारा कम कर गणना की जाएगी; तथा

(2) सेकंड हैंड परिसंपत्ति के मामले में, मूल लागत ऐसी सेकंड हैंड परिपरिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए खर्च की गई वास्तविक लागत होगी।

पट्टे और किराया खरीद परिपरिसंपत्ति के लिए अतिरिक्त प्रावधान

(ii) पट्टे और किराया खरीद परिपरिसंपत्ति के संबंध में, अतिरिक्त प्रावधान निम्नानुसार किया जाएगा:

(ए) जहां किराया शुल्क या पट्टे का किराया 12 महीने तक अतिदेय हैं	शून्य
(बी) जहां किराया शुल्क या पट्टे का किराया 12 महीनों से अधिक लेकिन 24 महीने तक अतिदेय हैं	निवल बही मूल्य का 10 प्रतिशत
(सी) जहां किराया शुल्क या पट्टे का किराया 24 महीनों से अधिक, लेकिन 36 महीने तक अतिदेय हैं	निवल बही मूल्य का 40 प्रतिशत
(डी) जहां किराया शुल्क या पट्टे का किराया 36 से अधिक महीनों के लिए, लेकिन 48 महीने तक अतिदेय हैं	निवल बही मूल्य का 70 प्रतिशत
(ई) जहां किराया शुल्क या पट्टे का किराया 48 महीनों से अधिक अतिदेय हैं	निवल बही मूल्य का 100 प्रतिशत

(iii) किराया खरीद/किराए पर परिपरिसंपत्ति की अंतिम किस्त की नियत तारीख के बाद 12 महीने की अवधि की समाप्ति पर, पूरे निवल बही मूल्य के लिए प्रावधान किया जाएगा।

टिप्पणी :

1. किराया खरीद करार के अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा एनबीएफसी में रखी गई जमानत राशि/मार्जिन राशि अथवा जमानती राशि को यदि करार के अंतर्गत समान मासिक किस्तें निर्धारित करते समय हिसाब में नहीं लिया गया है, तो उसे उक्त खण्ड (i) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान में से घटाया जाए। किराया खरीद करार के अनुसरण में उपलब्ध अन्य किसी भी जमानत राशि को उक्त खण्ड (ii) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान से ही घटाया जाएगा।

2. पट्टा करार के अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा एनबीएफसी में जमानत के तौर पर रखी गई राशि तथा पट्टा करार के अनुसरण में उपलब्ध अन्य किसी जमानत का मूल्य, दोनों को उक्त खण्ड (ii) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान से ही घटाया जाएगा।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि एनपीए के लिए आय का निर्धारण और प्रावधानीकरण, विवेकपूर्ण मानदण्डों के दो अलग पहलू हैं और मानदंडों के अनुसार कुल बकायों के एनपीए पर प्रावधान करने की आवश्यकता है, साथ ही संदर्भाधीन पट्टाकृत परिपरिसंपत्ति के औसत बही मूल्य का, पट्टा समायोजन खाते में शेषराशि को, यदि कोई हो, समायोजित करने के बाद, प्रावधान किया जाएगा। यह तथ्य कि एनपीए पर आय का निर्धारण नहीं किया गया है, प्रावधान न करने के कारण के रूप में नहीं माना जाएगा।

4. इन निदेशों के पैरा 16.3(ii)(बी) और 16.4(ii)(बी) में संदर्भित परिपरिसंपत्ति जिसके लिए पुनः बातचीत(रिनिगोशएट) की गई अथवा जिसे पुनर्निर्धारित किया गया, अवमानक परिपरिसंपत्ति मानी जाएगी अथवा यह उसी श्रेणी में बनी रहेगी जिस श्रेणी में वह पुनः बातचीत अथवा पुनर्निर्धारण के पूर्व, जैसा भी मामला हो, संदिग्ध अथवा हानि परिपरिसंपत्ति के रूप में थी। ऐसी परिपरिसंपत्तियों के लिए यथा लागू प्रावधान तब तक किया जाता रहेगा जब तक यह उन्नत श्रेणी में न बदल जाए।

5. पैरा 19 के उप पैरा (2) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सीआईसी-एनडी-एसआई द्वारा तुलनपत्र तैयार किया जाए।

6. 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद लिखे गए सभी वित्तीय पट्टों के लिए किराया खरीद परिपरिसंपत्तियों पर लागू प्रावधान उन पर भी लागू होंगे।

18. मानक परिपरिसंपत्तियों के लिए प्रावधान

(1) ₹500 करोड़ से कम कुल परिपरिसंपत्ति के साथ सीआईसी-एनडी-आई मानक परिपरिसंपत्तियों के लिए बकाया का 0.25 प्रतिशत प्रावधान करना होगा, जो शुद्ध एनपीए की गणना के लिए नहीं गिनी जाएगी । मानक परिपरिसंपत्तियों के लिए प्रावधान सकल अग्रिमों से नहीं घटाए जाएंगे लेकिन तुलन पत्र में 'मानक परिपरिसंपत्तियों के लिए आकस्मिक प्रावधान' के रूप में अलग से दिखाया जाएगा।

(2) ₹500 करोड़ और अधिक की कुल परिसंपत्ति के साथ एक सीआईसी-एनडी-एसआई मानक परिपरिसंपत्तियों के लिए बकाया का मार्च 2015 के अंत तक 0.25 प्रतिशत; मार्च 2016 के अंत तक 0.30 प्रतिशत; मार्च 2017 के अंत तक 0.35 प्रतिशत; मार्च 2018 के अंत तक और उसके बाद 0.40 प्रतिशत प्रावधान करना होगा, जो शुद्ध एनपीए की गणना के लिए नहीं गिनी जाएगी। मानक परिपरिसंपत्तियों के लिए प्रावधान सकल अग्रिमों से नहीं घटाए जाएंगें लेकिन तुलन पत्र में 'मानक परिपरिसंपत्तियों के लिए आकस्मिक प्रावधान' के रूप में अलग से दिखाया जाएगा।

19. तुलनपत्र में प्रकटीकरण

(1) प्रत्येक एनबीएफसी अपने तुलनपत्र में अलग से, उपर्युक्त पैरा 17 के अनुसार किए गए प्रावधानों को आय अथवा परिपरिसंपत्तियों के मूल्य से घटाए बिना प्रकट करेंगी।

(2) प्रावधानों का उल्लेख विशेष रूप से निम्नलिखित पृथक खाता शीर्षकों के अंतर्गत किया जाएगाः

(i) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान; तथा

(ii) निवेशों में मूल्यह्रास हेतु किए गए प्रावधान।

(3) इन प्रावधानों को एनबीएफसी द्वारा धारित सामान्य प्रावधान एवं हानिगत आरक्षित निधि, यदि कोई हो, से समायोजित नहीं किया जाएगा।

(4) इन प्रावधानों को प्रत्येक वर्ष लाभ-हानि खाता में नामे डाला जाएगा। सामान्य प्रावधान एवं हानिगत आरक्षित निधि शीर्ष के अंतर्गत धारित अधिशेष प्रावधान, यदि कोई हो, के साथ उन्हें समायोजित किए बिना पुनरांकित किया जाए।

(5) ₹500 करोड़ और अधिक के कुल परिसंपत्ति वाली सीआईसी-एनडी-आई तुलन पत्र में निम्नलिखित विवरण का खुलासा करेगी

i. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक्सपोजर तथा

ii. परिसंपत्ति और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न।

20. लेखांकन वर्ष

प्रत्येक सीआईसी-एनडी-एसआई प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपना तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा तैयार करेगी। जब कभी कोई एनबीएफसी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने तुलनपत्र की तारीख बढ़ाने का इरादा करती है, तो इसके लिए उसे कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, उन मामलों में भी जिनमें बैंक तथा कंपनी रजिस्ट्रार ने समय बढ़ाने की मंजूरी दी है, सीआईसी-एनडी-एसआई वर्ष के 31 मार्च को एक प्रोफार्मा तुलनपत्र (बिना लेखा परीक्षित) और उक्त तारीख को देय सांविधिक विवरणियां बैंक को प्रस्तुत करेगी। प्रत्येक सीआईसी-एनडी-एसआई को अपने संबंधित अवधि में तीन माह अंदर अपने तुलन पत्र को अंतिम रूप देना होगा।

21. तुलनपत्र की अनुसूची

प्रत्येक सीआईसी-एनडी-एसआई, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित अपने तुलनपत्र के साथ अनुबंध 1 में दी गई अनुसूची में ब्योरे संलग्न करेगी।

22. सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन

प्रत्येक सीआईसी-एनडी-एसआई सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन उसके सीएसजीएल खाते या उसके डिमैट खाते के जरिए कर सकती है;

बशर्ते कोई भी सीआईसी-एनडी-एसआई सरकारी प्रतिभूति में कोई लेनदेन किसी दलाल के जरिए भौतिक रूप में नहीं करेगी।

23. सीआईसी को अपने शेयरों पर ऋण देने पर प्रतिबंध

कोई सीआईसी-एनडी-एसआई अपने शेयरों पर ऋण नहीं देगी।

24. पता, निदेशकों, लेखा परीक्षकों, आदि के बदलने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

प्रत्येक सीआईसी-एनडी-एसआई निम्नलिखित मामलों में हुए किसी भी परिवर्तन के बारे में, ऐसा परिवर्तन घटित होने के एक महीने के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करेगी जिसके अधिकार क्षेत्र में सीआईसी पंजीकृत है :

(ए) पंजीकृत/ कारपोरेट कार्यालय का पूर्ण डाक पता, टेलीफोन नंबर तथा फैक्स नंबर;
(बी) कंपनी के निदेशकों के नाम तथा आवासीय पते;
(सी) अपने प्रधान अधिकारियों के नाम तथा आधिकारिक पदनाम;
(डी) कंपनी के लेखा परीक्षकों के नाम तथा कार्यालय का पता।
(ई) कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर

25 सीआईसी-एनडी-एसआई का भागीदारी फर्म में भागीदार नहीं बनना

(1) सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकर करने वाली कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भागीदारी फर्म में पूंजी अंशदान नहीं करेगी अथवा ऐसी फर्म में भागीदार नहीं बनेगी ।

(2) सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो पहले से ही भागीदारी फर्म में पूंजी अंशदान किया है अथवा भागीदारी फर्म की भागीदार है,वे भागीदारी फर्म से शीघ्र निकासी करें ।

(3) इस संबंध में इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया जाता है कि;

(ए) उपर्युक्त भागीदारी फर्म में सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) भी शामिल है।

(बी) इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त प्रतिबंध व्यक्तियों के एसोसिएशन के लिए भी लागू है; क्योंकि इनकी प्रकृति भागीदारी फर्म के समान है।

26 शेयरों के जमानत पर ऋण

सीआईसी-एनडी-एसआई जो सूचीबद्ध शेयरों को जमानत रखकर ऋण कारोबार करती है उन्हें,

i. शेयरों की संपार्श्विक जमानत के बदले मंजूर ऋण का 50% मूल्य की तुलना में ऋण(एलटीवी) अनुपात बनाये रखना होगा। हमेशा 50% एलटीवी अनुपात बनाये रखना होगा। संपार्श्विक शेयरों के बदले ऋण मंजूरी के लिए 50% मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात बनाये रखना होगा। शेयर मूल्य में उतार चढाव के कारण यदि किसी भी समय एलटीवी अनुपात का 50% से कम होता है तो 7 कार्यदिवस के अंदर उसे ठीक कर लेना होगा।

ii. ऐसे मामलों में जहां पूंजी बाजार में निवेश के लिए ऋण लिया गया है उस संबंध में रुपए 5 लाख से अधिक ऋण मूल्य के लिए संपार्श्विक जमानत के रूप में केवल समूह 1 प्रतिभूतियों को स्वीकार किया जाए (सेबी द्वारा जारी तथा समय-समय पर संशोधित 11 मार्च 2003 का एसएमडी/नीति/परि-9 में विनिर्दिष्ट) बशर्ते इसकी समीक्षा बैंक द्वारा की जाएगी।

iii. ऋण प्राप्ति के लिए उधारकर्ताओं द्वारा उनके हित में गिरवी रखे गए शेयरों के संबंध में सूचना प्रत्येक तिमाही को अनुबंध II में विनिर्दिष्ट फार्मेट के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को ऑन लाइन रिपोर्टिंग की जाए।

भाग - III
अभिशासकीय मुद्दे

अध्याय VI
प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण सीआईसी के नियंत्रण का हस्तांतरण/ अधिग्रहण

27 (i) इन निदेशों के पैरा 3 (xxiv), में परिभाषित प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण सीआईसी को निम्नलिखित के लिए बैंक की पूर्व लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी:

ए) सीआईसी के नियंत्रण के अधिग्रहण जिससे प्रबंधन का परिवर्तन हो या नहीं हो सकता है;

बी) हिस्सेदारी में परिवर्तन जिसका नतीजा सीआईसी की चुकता इक्विटी पूंजी की हिस्सेदारी के 26 प्रतिशत या अधिक का अधिग्रहण / अंतरण, जिसमें समय के साथ प्रगतिशील रूप से बढ़ना शामिल है, के रूप में हो,

हालांकि एक सक्षम न्यायालय के अनुमोदन से शेयर की पुनर्खरीद/ पूंजी में कमी के कारण शेयरहोल्डिंग 26% से कम हो रहा है तो ऐसे मामले में पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इसे होने से एक महीने में बैंक को सूचित किया जाना चाहिए;

सी) सीआईसी के प्रबंधन में कोई भी बदलाव, जिसमे स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर 30 से अधिक प्रतिशत निदेशकों में परिवर्तन हो,
हालांकि निदेशकों की सेवानिवृत्ति पर रोटेशन से फिर से निर्वाचित होने के मामले में पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) खंड (i) के होते हुए भी सीआईसी उनके निदेशकों/प्रबंधन में कोई बदलाव होने पर परिवर्तन की तिथि से एक महीने में बैंक को सूचित करना जारी रखेगी।

28. पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन

(i) सीआईसी को उपरोक्तानुसार बैंक से पूर्व अनुमोदन को प्राप्त करने के लिए कंपनी के लेटर हेड पर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा:
ए) प्रस्तावित निदेशकों /शेयरधारकों के बारे में जानकारी अनुबंध III के अनुसार;
बी) सीआईसी के शेयरों के अधिग्रहण करने वाले प्रस्तावित शेयरधारकों के धन के स्रोत;
सी) प्रस्तावित निदेशकों/शेयरधारकों द्वारा घोषणा कि वे किसी भी अनिगमित निकाय जो जमा राशि स्वीकार कर रही है, के साथ संबद्ध नहीं हैं;
डी) प्रस्तावित निदेशकों/शेयरधारकों द्वारा घोषणा कि वे किसी भी कंपनी के साथ संबद्ध नहीं हैं जिसके पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है;
ई) प्रस्तावित निदेशकों/शेयरधारकों द्वारा घोषणा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध भी शामिल नहीं है ; तथा
एफ़) प्रस्तावित निदेशकों/शेयरधारकों पर बैंकर्स की रिपोर्ट।
(ii) इस संबंध में आवेदन गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में सीआईसी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है ।

29. नियंत्रण/प्रबंधन में बदलाव के बारे में पूर्व सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता

(i) शेयरों की बिक्री, या नियंत्रण के हस्तांतरण के द्वारा स्वामित्व की बिक्री या का हस्तांतरण में, चाहे वह शेयरों की बिक्री के बिना या सहित हो, के लिए कम से कम 30 दिनों की एक सार्वजनिक नोटिस पहले दी जाएगी। इस तरह के सार्वजनिक नोटिस बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद सीआईसी द्वारा और अन्य पार्टी द्वारा या संबंधित पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से दी जाएगी।

(ii) सार्वजनिक नोटिस में बेचने के लिए या स्वामित्व / नियंत्रण हस्तांतरण का इरादा, अंतरिती के ब्यौरे और इस तरह की बिक्री या स्वामित्व / नियंत्रण के हस्तांतरण के लिए कारणों का संकेत होगा। सूचना पर कम से कम एक प्रमुख राष्ट्रीय और एक अग्रणी स्थानीय भाषा के अखबार(पंजीकृत कार्यालय की जगह को कवर करने वाला) में प्रकाशित किया जाएगा।

भाग -IV
विविध मुद्दे

अध्याय VII
विदेशी निवेश

30. ये निदेश विदेशी निवेश के लिए विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा निर्धारित निदेशों के अतिरिक्त हैं।

31. विदेशी वित्तीय क्षेत्र[1] में निवेश

वित्तीय क्षेत्र में विदेशी संयुक्त उद्यम / सहायक / प्रतिनिधि कार्यालयों में निवेश करने वाली सभी सीआईसी को बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश की इच्छा रखने वाली सीआईसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) धारण तथा पंजीकृत सीआईसी पर लागू सभी विनियमों का पालन करना होगा। अत: सीआईसी जिन्हें बैंक के विनियमन संरचना से छूट प्राप्त है (छूट प्राप्त सीआईसी) वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए उन्हें बैंक से पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता है तथा वे सीआईसी-एनडी-एसआई की तरह विनियमित होंगी, अगर वे विदेशी वित्तीय क्षेत्र में निवेश करना चाहती है।

32 गैर वित्तीय क्षेत्र में निवेश

छूट प्राप्त सीआईसी जो विदेशी गैर-वित्तीय क्षेत्र में निवेश कर रहीं है उन्हें बैंक से पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है अत: यह निदेश उनपर लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त पंजीकृत सीआईसी-एनडी-एसआई को विदेशी गैर-वित्तीय क्षेत्र में निवेश करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उन्हें ऐसे निवेश के 30 दिनों के भीतर निर्धारित फार्मेट में इसकी सूचना उस क्षेत्रीय कार्यालय के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को देना होगा जहां वह पंजीकृत है तथा तिमाही रिटर्न की प्रस्तुति जारी रखना होगा;

[1] इस प्रयोजन से वित्त क्षेत्र का आशय ऐसे क्षेत्र/सेवा से है जो वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियमित है।

सीआईसी के लिए विदेशी निवेश हेतु माप दण्ड तथा निर्धारित अन्य नियम निम्नलिखित पैराग्राफ में दी गई है:

33. पात्रता मानदण्ड

i. सीआईसी की समायोजित निवल मालियत (एएनडब्ल्यू) उसके तुलनपत्र के सकल जोखिम भारित परिपरिसंपत्तियों तथा तुलनपत्र इतर मदों के समायोजित जोखिम मूल्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख को 30% से कम नहीं होना चाहिए। सीआईसी को विदेशी निवेश के बाद एएनडब्ल्यू का आवश्यक न्यूनतम स्तर बनाए रखना होगा। इस उद्देश्य के लिए, लागू जोखिम भार को इन निदेशों मे निश्चित किया गया है।

ii. सीआईसी की निवल अनर्जक परिपरिसंपत्तियों का स्तर अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख को निवल अग्रिम से 1% से अधिक नहीं होना चाहिए;

iii. सीआईसी को सामान्यत: अंतिम तीन वर्ष में लगातार लाभ अर्जित करनेवाली होनी चाहिए तथा इसकी मौजूदगी के दौरान इसका कार्यनिष्पादन संतोषजनक होना चाहिए।

34 सामान्य शर्तें

i. फेमा के तहत निषिद्ध गतिविधियों में प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है;

ii. कुल विदेशी निवेश सीआईसी के स्वाधिकृत निधियों के 400% से अधिक नहीं होनी चाहिए;

iii. वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश इसके स्वाधिकृत निधियों के 200%से अधिक नहीं होनी चाहिए;

iv. वित्तीय क्षेत्र में निवेश केवल विनियमित विदेशी संस्थाओं में ही होगी।

v. विदेश में स्थापित अथवा विदेश में अधिगृहीत संस्था को विदेश में पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक संस्थाएं (डब्ल्यूओएस)/ संयुक्त उद्यम (जेवी) के रूप में माना जाएगा;

vi. सीआईसी द्वारा वित्तीय /गैर-वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश उसके वित्तीय प्रतिबद्धता तक सीमित होगी। तथापि इस संबंध में गारंटी/चुकौती आश्वासन पत्र जारी करने के मामले में निम्न को नोट किया जाए;

ए. गैर-वित्तीय गतिविधियां कर रही विदेशी संस्थाओं को सीआईसी गारंटी/ चुकौती आश्वासन पत्र जारी कर सकती है;

बी. सीआईसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि विदेश में किए गए निवेश के कारण जटिल संरचना तैयार न हो। यदि विदेशी संरचना में गैर परिचालनगत नियंत्रक कंपनी की आवश्यता होती है तो संरचना में दो स्तरीय संरचना से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीआईसी के अस्तित्व में उनकी निवेश संरचना के

लिए एक से अधिक गैर-परिचालनगत नियंत्रक कंपनी रहती है, जिसकी रिपोर्टिंग भारतीय रिज़र्व बैंक को समीक्षा के लिए की जानी चाहिए।

सी. सीआईसी को फेमा,1999 के तहत समय-समय पर जारी विनियमों का अनुपालन करना होगा;

डी. सीआईसी को सांविधिक लेखा परीक्षक से वार्षिक प्रमाण पत्र, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि विदेश में निवेश के लिए इस निदेश के तहत निर्धारित सभी नियम का पूर्ण अनुपालन उनके द्वारा किया गया है, को क्षेत्रीय कार्यालय के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में प्रस्तुत करना होगा, जहां वह पंजीकृत है। प्रत्येक वर्ष के मार्च माह की समाप्ति पर प्रमाणपत्र प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक प्रस्तुत करना होगा;

ई. यदि बैंक के संज्ञान में कोई प्रतिकूल बात आती है तो स्वीकृत अनुमति को वापस ले लिया जाएगा। विदेश में निवेश हेतु सभी स्वीकृतियां इस नियम के अधीन हैं।

35. विशिष्ट शर्तें

i. शाखा खोलना

जैसा कि सीआईसी गैर परिचालनगत संस्थाएं होती हैं, सामान्य स्थिति में, उन्हें विदेश में शाखा खोलने की अनुमति नहीं है।

ii. सीआईसी द्वारा विदेश में डब्ल्यूओएस/जेवी खोलना

सीआईसी द्वारा विदेश में डब्ल्यूओएस/जेवी के मामले में, उक्त निर्धारित सभी शर्तें लागू होंगी। बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) विदेशी विनियामक की अनुमति प्रक्रिया से स्वतंत्र होंगी। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तें सभी सीआईसी पर लागू होगी:

ए. विदेश में स्थापित की जाने वाली डब्ल्यूओएस/जेवी दिखावटी कंपनी (शेल कंपनी) नहीं होनी चाहिए अर्थात " कंपनी जो गठित है किंतु कोई महत्वपूर्ण परिपरिसंपत्तियां या परिचालन नहीं है। तथापि वित्तीय सलाहकार तथा परामर्श सेवाएं प्रदान करने का कारोबार करने वाली ऐसी कंपनियों को दिखावटी कंपनी नहीं माना जाएगा;

बी. सीआईसी द्वारा विदेश में स्थापित की जाने वाली डब्ल्यूओएस/जेवी को भारत में भारतीय परिचालन के लिए परिपरिसंपत्तियों के निर्माण हेतु, संसाधन जुटाने वाली माध्यम के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए;

सी. प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, मूल सीआईसी को विदेशी डब्ल्यूओएस/जेवी द्वारा किए जाने वाले कारोबार संबंधी कम से कम तिमाही आवधिक रिपोर्ट/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त कर बैंक के निरीक्षण अधिकारियों को उपलब्ध कराना होगा;

डी. यदि डब्ल्यूओएस/जेवी द्वारा कोई कारोबार नहीं रहा अथवा ऐसी कोई रिपोर्ट की प्रस्तुति नहीं की जाती है तो विदेश में डब्ल्यूओएस/जेवी की स्थापना के लिए प्रदान की गई अनुमति की समीक्षा की जाएगी;

ई. डब्ल्यूओएस/जेवी अपने तुलन पत्र में अपनी मूल संस्था के प्रति अपनी देनदारी की राशि के संबंध में प्रकटीकरण करेगी तथा यह भी प्रकट करेगी कि क्या यह इक्विटी/ऋण तक सीमित है यदि गारंटी दी है तो ऐसी गारंटियों की प्रकृति तथा उसमे शामिल राशि;

एफ. विदेश के डब्ल्यूओएस/जेवी का सभी परिचालन मेजबान देश के विनियामक द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन होगा।

iii. सीआईसी द्वारा विदेश में प्रतिनिधि कार्यालय खोलना

विदेश में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए सीआईसी को भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग से पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। विदेश में प्रतिनिधि कार्यालय की स्थापना विदेश में संपर्क कार्य, बाजार स्टडी तथा अनुसंधान कार्य हेतु प्रतिनिधि कार्यालय खोला जा सकता है किंतु इसमें किसी भी प्रकार से निधियों का परिव्यय कारोबार शामिल न हो। प्रतिनिधि कार्यालय को इस संबंध में मेजबान देश के विनियामक द्वारा निर्धारित विनियमों का अनुपालन करना होगा, यदि कोई हो तो। ऐसा परिकल्पित नहीं किया गया है कि ऐसे कार्यालय संपर्क कार्य के अतिरिक्त और कोई गतिविधि करें, इन्हें कोई ऋण व्यवस्था प्रदान नहीं की जाए।

मूल सीआईसी को विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय से उनके कारोबार संबंधी आवधिक रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी। यदि प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा कोई कारोबार नहीं किया जाता है या रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं होती है तो बैंक सीआईसी को संस्था बन्द करने हेतु सूचित करेगा।

अध्याय - VIII

विविध अनुदेश

36. करेंसी ऑप्शंस फ्यूचर्स में सहभागिता

सीआईसी-एनडी-आई को केवल अपने अंतर्निहित विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग के उद्देश्य के लिए, ग्राहकों के रूप में, सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त नामित मुद्रा विकल्प/वायदा एक्सचेंजों में भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) के इस मामले में दिशा-निर्देशों के अधीन में भाग लेने के लिए अनुमति दी जाती है। सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मुद्रा वायदा बाजार में किए गए लेनदेन से संबंधित तुलन पत्र में प्रकटीकरण किया जाएगा ।

37. हाज़िर वायदा संविदाओं, सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के निपटान में ढील/संशोधन तथा प्राथमिक निर्गमों में आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित परिचालनीय अनुदेश

सभी सीआईसी-एनडी-एसआई को अनुदेश दिया जाता है कि वे समय-समय पर संशोधित 29 मार्च 2004 के परिपत्र आइडीएमडी.पीडीआरएस.05/10.02.01/2003-04 तथा 11 मई 2005 का आईडीएमडी. पीडीआरएस.4777, 4779 तथा 4783/10.02.01/2004-05 में सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के संबंध में दिए गए निदेशों का पालन करें। इस संबंध में उन्हें यदि कहीं कोई संदेह हो तो वे आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग को लिखें।

38. ब्याज दर संबंधी भावी सौदों (इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स) का प्रारंभ

भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी द्वारा इस बारे में जारी निदेशों के अंतर्गत सीआईसी-एनडी-एसआई अपने अंतर्भूत जोखिमों की हेजिंग के लिए सेबी द्वारा ग्राहक के रूप में मान्यता प्राप्त एवं नामित एक्सचेंजों में ब्याज दर संबंधी भावी सौदे कर सकती हैं। ब्याज दर संबंधी भावी सौदों के लिए एक्सचेंजों में भाग लेने वाली सीआईसी-एनडी-एसआई ऐसे आंकड़े छमाही आधार पर संबंधित छमाही की समाप्ति के अनुवर्ती एक माह में गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को संलग्न फार्मेट में प्रस्तुत करें जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आता हो।

39. सीआईसी-एनडी-एसआई द्वारा अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स आदि के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से धनराशि जुटाना

सभी सीआईसी-एनडी-एसआई से अपेक्षित है कि अपरिवर्तनीय-डिबेंचर्स के प्राइवेट प्लेसमेंट (एनसीडी) पर (अनुबंध 4 में दिए गए) दिशानिर्देशों का अनुपालन करें। यह नोट किया जाए कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान तथा इसके तहत जारी नियम वहां लागू होंगे जहां विरोधाभास नहीं है।

40. अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 की प्रयोज्यता

यह नोट किया जाए कि सभी सीआईसी-एनडी-एसआई को बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा समय-समय पर संशोधित अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 का पालन करना होगा ।

41. सीआईसी-एनडी-एसआई द्वारा लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित करना

सीआईसी-एनडी-एसआई सुनिश्चित करें कि जमाराशि पर ब्याज का भुगतान/अग्रिम पर प्रभारित ब्याज आदि सहित सभी लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित किया जाए - जैसे 50 पैसे का अंश तथा

उससे अधिक को रूपये की अगली उच्च राशि में पूर्णांकित किया जाए तथा 50 पैसे से कम के अंश को उपेक्षित कर दिया जाए। तथापि, यह भी सुनिश्चित करें कि ग्राहकों द्वारा जारी चेक/ड्राफ्ट जिसमें रूपये का अंश निहित हो उसे उनके द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाए।

42. सीआईसी-एनडी-एसआई की रेटिंग

सीआईसी-एनडी-एसआई कमर्शियल पेपर, डिबेंचर आदि जैसे वित्तीय उत्पाद भी जारी करती हैं जिनकी रेटिंग, रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित की जाती है। ऐसे उत्पादों को दी गई रेटिंग, रेटिंग एजेंसियों द्वारा बताए गए विभिन्न कारणों से बदल सकती हैं। सभी सीआईसी-एनडी-एसआई अपने ऐसे वित्तीय उत्पादों की रेटिंग के न्यूनीकरण/ उन्नयन की तारीख से 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में ऐसी जानकारी रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को देंगी जिनके अधिकार क्षेत्र में उनका पंजीकृत कार्यालय कार्यरत है।

43. बीमा में निवेश पर दिशानिर्देश - बीमा कारोबार में प्रवेश

इच्छुक सीआईसी गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अधिकार क्षेत्र में सीआईसी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है को आवश्यक विवरण सहित उनकी सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित एक आवेदन करना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकृत कोई कोर निवेश कंपनी जो निम्नलिखित मापदंड को पूरा करती है उन्हें सुरक्षा उपायों के अधीन जोखिम सहभागिता के साथ बीमा कारोबार करने के लिए संयुक्त उपक्रम कंपनी स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है। सीआईसी के लिए बीमा संयुक्त उपक्रम मे निवेश के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है । इस प्रकार की सीआईसी द्वारा धारित संयुक्त उपक्रम में अधिकतम इक्विटी अंशदान आईआरडीए के अनुमोदन के अनुसार होगा।

(1) संयुक्त उपक्रम में भागीदारी हेतु पात्रता मानदंड निम्न के तहत, उपलब्ध नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार होगा।

ए. सीआईसी का स्वाधिकृत निधि रू 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए;

बी. अनर्जक आस्तियां का स्तर कुल अग्रिमों का 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए;

सी. सीआईसी को लगातार तीन वर्ष लगातार निवल लाभ अर्जित किया हुआ होना चाहिए;

डी. संबंधित सीआईसी की सहायक संस्थाएं, यदि कोई होतो, के कार्य निष्पादन का ट्रैक रिकार्ड संतोषजनक होना चाहिए;

ई. सीआईसी को इस निदेश सहित सभी लागू विनियमों का अनुपालन करना होगा। इस प्रकार सीआईसी-एनडी-एसआई को समायोजित निवल मूल्य जो तुलन पत्र मदों और तुलन पत्रेतर मदो के

समायोजित जोखिम मूल्य पर कुल जोखिम भारित आस्तियों का कम से कम 30% बनाए रखना आवश्यक है।

(2) सीआईसी को विभागीय रूप से यह कारोबार करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (इसके समूह में/ बाह्य समूह में) को सामान्यत जोखिम भागीदारी आधार पर बीमा कंपनी में शामिल होने की अनुमति नहीं है अत:, वे बीमा उपक्रम में प्रत्येक्ष या परोक्ष रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करा सकतीं।

(3) समूह के अंतर्गत, सीआईसी को अन्य गैर-वित्तीय संस्थाओं के साथ एकल आधार पर या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से संयुक्त उद्यम में बीमा कंपनी की इक्विटी में 100% तक निवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सीआईसी या तो एक एकल आधार पर अथवा समूह कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम में बीमा जोखिम अनावृत करेगी तथा समूह में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऐसी जोखिम के घेरे से बाहर होगी।

(4) ऐसे मामले में जहां एक विदेशी भागीदार बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण/विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की अनुमति से इक्विटी में 26 प्रतिशत का अंशदान करता है वहां एक से अधिक सीआईसी बीमा संयुक्त उद्यम की इक्विटी में भाग ले सकती हैं। इस प्रकार भागीदारों को भी बीमा जोखिम अपनाना होगा तथा केवल वही सीआईसी पात्र होंगी जो उक्त पैराग्राफ 2 में निहित पात्रता मानदंड को पूरा करती हैं।

(5) सीआईसी ऐजेंट के रूप में बीमा कारोबार में प्रवेश नहीं कर सकती। बीमा कारोबार में निवेशक अथवा जोखिम भागीदार के आधार पर भाग लेने की इच्छा रखने वाली सीआईसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी संबंधित घटकों को ध्यान में रख कर मामले के अनुसार अनुमति प्रदान की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि बीमा कारोबार में शामिल जोखिमों का अंतरण सीआईसी को नहीं किया जाएगा।

नोट:

(1) बीमा कंपनी में प्रवर्तक सीआईसी द्वारा धारित इक्विटी अथवा बीमा कारोबार में निवेश बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गए नियम और विनियमन के अनुपालन

के अधीन होगा। इसमें निर्धारित समयावधि के अंदर चुकता पूंजी का 26 प्रतिशत से अधिक इक्विटी में विनिवेश के लिए आईआरडी अधिनियम 1999 में यथा संशोधित धारा 6एए का अनुपालन शामिल होगा।

(2) कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2011 के नियम के अनुसार पंजीकरण से छूट प्राप्त सीआईसी को पूर्वानुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते वे छूट के लिए निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करती हो।

45. **सीआईसी द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग करते समय जोखिमों और आचार संहिता का प्रबंधन करना-** सीआईसी अपनी वर्तमान आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं का स्वयं मूल्यांकन करेगी और उसे अनुबंध V में दिए गए निर्देशों के अनुरूप बनाएगी।

अध्याय - IX
रिपोर्टिंग आवश्यकताएं

45. गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित सीआईसी-एनडी-आई के संबंध में रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन किया जाएगा।

अध्याय -X
व्याख्याएं

46. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, बैंक, अगर आवश्यक समझता है, तो इसमें शामिल किसी भी बात के साथ-साथ बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है जो अंतिम और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा । इन निदेशों का उल्लंघन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। इसके अलावा, ये प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेश के प्रावधानों के अलावा होंगे और उन्हे न्यूनप्रभावी नहीं करेंगे ।

अध्याय - XI
निरसन प्रावधान

47. इन निदेशों के जारी करते ही बैंक द्वारा जारी किए गए निम्न परिपत्रों (सूची नीचे प्रदान की है) में निहित अनुदेशों/ दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया माना जाए । उपरोक्त परिपत्रों के तहत दिए गए सभी अनुमोदन/स्वीकृतियां इन निदेशों के तहत दिए गए माने जाएंगे। ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरस्त

कर दिए अनुदेश/दिशा-निर्देशों के अधीन की गई /शुरू की गई किसी भी कार्रवाई कथित अनुदेश / दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के द्वारा निर्देशित किया जाना जारी रहेगा।

क्रमांक	अधिसूचना संख्या	तारीख	विषय
1	डीएनबीएस (पीडी) सीसी सं 197/03.10.001/2010-11	12 अगस्त 2010	कोर निवेश कंपनियों के लिए विनियामक ढांचा
2	अधिसूचना सं डीएनबीएस (पीडी) 219/सी जी एम(यूएस) - 2011	5 जनवरी, 2011	कोर निवेश कंपनियों (रिजर्व बैंक) के निर्देश, 2011
3	डीएनबीएस (पीडी) सीसी सं 274/03.02.089/2011-12	11 मई, 2012	कोर निवेश कंपनियों (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2011 - पर स्पष्टीकरण गारंटी जारी करने वाले सी.आई.सी.
4	डीएनबीएस (पीडी) सीसी सं 311/03.10.001/2012-13	06 दिसम्बर, 2012	कोर निवेश कंपनियों - विदेशी निवेश (रिजर्व बैंक) 2012
5	डीएनबीएस (पीडी) सीसी सं 312/03.10.001/2012-13	07 दिसम्बर, 2012	गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए चेकलिस्ट, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनेंस संस्थानों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टरिंग संस्थान और कोर निवेश कंपनियों
6	डीएनबीएस (पीडी) सीसी सं 322/03.10.001/2012-13	01 अप्रैल, 2013	कोर निवेश कंपनियां - बीमा में निवेश पर दिशानिर्देश

(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध 1

जमा स्वीकार या धारण न करने वाली सीआईसी-एनडी-एसआई के तुलन-पत्र की अनुसूची

(लाख रुपए में)

	ब्योरे		
	देयताएं पक्ष		
1	**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम जिनमें इन पर उपचित पर न चुकाया गया ब्याज शामिल हैः** (क) डिबेंचर : जमानती : गैर-जमानत (जनता की जमाराशि की परिभाषा से बाहर)* (ख) आस्थगित ऋण (ग) मीयादी ऋण (घ) अंतर-कंपनी ऋण और उधार (ड.) वाणिज्यिक पत्र (च) अन्य ऋण (उनका स्वरूप बताएं) * कृपया नीचे का नोट 1 देखें	बकाया राशि	अतिदेय राशि
	परिपरिसंपत्तियां पक्ष		
		बकाया राशि	
(2)	**प्राप्य बिलों-सहित ऋणों और अग्रिमों का अलग-अलग विवरण नीचे (4) में शामिल के अलावा -** (क) जमानती (ख) गैर-जमानती		
(3)	**एएफसी गतिविधियों के लिए गणना की जानेवाली पट्टेवाली परिपरिसंपत्तियों तथा किराये पर स्टाक और अन्य परिपरिसंपत्तियों का अलग-अलग विवरण** (i) विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टा किराया समेत		

	पट्टा परिपरिसंपत्तियां (क) वित्तीय पट्टे (ख) परिचालन पट्टे (ii) विविध देनदारों के अंतर्गत किराया प्रभार समेत किराए पर स्टाक (क) किराए पर परिपरिसंपत्तियां (ख) पुनःधारित परिपरिसंपत्तियां (iii) एएफसी गतिविधियों के लिए गणना किए जानेवाले अन्य ऋण (क) ऐसे ऋण जिनमें आस्तियां पुनः धारित की गईं (ख) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त ऋण	
(4)	**निवेशों का अलग-अलग ब्योरा** <u>चालू निवेश</u> 1. <u>उद्धृत (कोटेड) :</u> (i) शेयर : (क) इक्विटी (ख) अधिमान (ii) डिबेंचर और बॉण्ड (iii) म्यूचुअल फंडों की यूनिटें (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।) 2. <u>अनुद्धृत (अनकोटेड)</u> (i) शेयर : (क) इक्विटी (ख) अधिमान (ii) डिबेंचर और बॉण्ड (iii) म्यूचुअल फंडों की यूनिटें (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।)	

	<u>दीर्घावधि निवेश</u> 1. <u>उद्धृत (कोटेड):</u> (i) शेयर : (क) इक्विटी (ख) अधिमान (ii) डिबेंचर और बॉण्ड म्यूचुअल फंडों की यूनिटें (iii) म्यूचुअल फंडों की यूनिटें (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।) 2. <u>अनुद्धृत (अनकोटेड)</u> (i) शेयर : (क) इक्विटी (ख) अधिमान (ii) डिबेंचर और बॉण्ड (iii) म्यूचुअल फंडों की यूनिटें (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।)	

(5)	**उपर्युक्त (2) एवं (3) में वित्तपोषित परिपरिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूहवार वर्गीकरण :** कृपया नीचे का नोट 2 देखें			
	श्रेणी	राशि - प्रावधानों को घटाकर		
		जमानती	गैर-जमानती	कुल
	1. संबंधित पक्ष **			
	(क) सहायक कंपनियां			
	(ख) उसी समूह की कंपनियां			
	(ग) अन्य संबंधित पक्ष			
	संबंधित पक्ष के अलावा अन्य			
	कुल			

6.	**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों) में किए गए समस्त निवेशों (चालू और दीर्घावधि) का निवेशक समूहवार वर्गीकरण** कृपया नीचे का नोट 3 देखें		
	श्रेणी	बाजार मूल्य/अलग-	बही मूल्य

		अलग या उचित मूल्य या निवल परिपरिसंपत्ति मूल्य	(प्रावधान घटाकर)
	1. संबंधित पक्ष **		
	(क) सहायक कंपनियां		
	(ख) उसी समूह की कंपनियां		
	(ग) अन्य संबंधित पक्ष		
	संबंधित पक्ष के अलावा अन्य		
	कुल		

** आइसीएआइ के लेखा मानक के अनुसार (कृपया नोट 3 देखें)

7. अन्य जानकारी

ब्योरा		राशि
(i)	सकल अनर्जक परिपरिसंपत्तियां	
	(क) संबंधित पक्ष	
	(ख) संबंधित पक्ष के अलावा अन्य	
(ii)	निवल अनर्जक परिपरिसंपत्तियां	
	(क) संबंधित पक्ष	
	(ख) संबंधित पक्ष के अलावा अन्य	
(iii)	ऋण की संतुष्टि में अधिगृहीत परिपरिसंपत्तियां	

नोट :

1. कोर बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में यथा परिभाषित।

2. इन निदेशों में यथा निर्धारित प्रावधान मानदंड लागू होंगे।

3. निवेश तथा अन्य परिपरिसंपत्तियों के साथ-साथ ऋण की संतुष्टि में अधिगृहीत अन्य परिपरिसंपत्तियों के मूल्यांकन -सहित सभी पर आइसीएआइ द्वारा जारी सभी लेखा मानक और निर्देश नोट लागू होंगे। फिर भी, उद्भूत निवेशों के संबंध में बाजार मूल्यों और अनुद्भूत निवेशों के अलग-अलग/उचित मूल्य/निवल परिपरिसंपत्ति मूल्यों का खुलासा किया जाना चाहिए, भले ही उपर्युक्त (4) में इन्हें दीर्घावधि या चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।

अनुबंध II

गिरवी रखी गई प्रतिभूति से संबंधित डाटा

उधारदाता एनबीएफसी का नाम					
पैन					
रिपोर्टिंग की तारीख					
शेयर धारण सूचना					
कंपनी का नाम	**आईएसआईएन**	**ऋण के बदले रखी गई शेयरों की संख्या**	**उधारकर्ता का प्रकार (प्रोमोटर/नॉन प्रोमोटर)**	**उधारकर्ता का नाम**	**उधारकर्ता का पैन ब्योरा**

अनुबंध III - भाग (i)

कंपनी के प्रस्तावित प्रवर्तकों / निदेशकों / शेयरधारकों के बारे में जानकारी

क्रमांक.	आवश्यक विवरण	प्रतिक्रिया
1	नाम	
2	पद	अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3	राष्ट्रीयता	
4	आयु (जन्म तिथि के साथ प्रमाणित किया जाना है)	
5	व्यावसायिक पता	
6	घर का पता	
7	ई-मेल पता / टेलीफोन नंबर	
8	आयकर अधिनियम के तहत पैन संख्या	
9	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	
10	सामाजिक सुरक्षा नंबर / पासपोर्ट संख्या *	
11	शैक्षिक / व्यावसायिक योग्यता	
12	नौकरी के लिए प्रासंगिक पेशेवर उपलब्धि	
13	व्यापार या व्यवसाय की लाइन	
14	कंपनी से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी	
15	अन्य कंपनियों के नाम, जिसमें व्यक्ति के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्य किया है	
16	संस्थाओं की नियामकों के नाम (आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी अन्य विदेशी नियामक) का उल्लेख जिसमें व्यक्तियों ने निदेशक का पद धारण किया है	
17	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के नाम, जिसके साथ व्यक्ति,	

	एक निदेशक, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, प्रवर्तक के रूप में जुड़ा हुआ है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे जमा स्वीकार करने से मना कर दिया गया है/ मुकदमा चलाया गया है, यदि कोई हो?	
18	आर्थिक कानूनों और नियमों के उल्लंघन के लिए व्यक्ति के खिलाफ या ऐसी संस्थाओं में से किसी के खिलाफ जिसके साथ अतीत में व्यक्ति जुड़ा हुआ है लंबित या शुरू अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
19	व्यक्ति या व्यक्ति के रिश्तेदारों या व्यक्ति के साथ जुडी कंपनियों द्वारा किसी भी संस्था या बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में पिछले 5 वर्षों में डिफ़ॉल्ट के मामले, यदि कोई हो	
20	यदि व्यक्ति एक व्यावसायिक संघ / संस्था का सदस्य है तो उसके खिलाफ अतीत में अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण या शुरू या लंबित है या जिसके परिणामस्वरूप अपराध सिद्ध होता हो, या क्या कभी भी उसके किसी व्यवसाय के प्रवेश पर से प्रतिबंध लगा दिया गया है, यदि कोई हो	
21	क्या व्यक्ति, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पित अयोग्यता में से किसी को आकर्षित करता है	
22	क्या व्यक्ति या कंपनियों जिनके साथ वह जुड़े हैं, को सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने पर किसी भी जांच के अधीन कर दिया गया है	
23	क्या किसी भी समय में व्यक्ति को सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, विवरण दें	

24	एनबीएफसी के कारोबार में अनुभव (वर्षों की संख्या)	
25	कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी	
	(i) शेयरों की संख्या	.....
	(ii) अंकित मूल्य	रुपए .....
	(iii) कंपनी की इक्विटी शेयर भुगतान पूंजी का कुल प्रतिशत	.....
26	कंपनियों, फर्मों और मालिकाना संबंधों का नाम जिसमें व्यक्ति पर्याप्त हित रखते हैं	
27	ऊपरोक्त 26 के प्रमुख बैंकरों के नाम	
28	विदेशी बैंकरों का नाम *	
29	क्या व्यक्ति द्वारा धारित निदेशकता की संख्या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 165 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है	
हस्ताक्षर:		
नाम:		
पदनाम:		
कंपनी की मोहर :		
तारीख :		
जगह :		
* विदेशी प्रवर्तकों / निदेशकों / शेयरधारकों के लिए		
ध्यान दें: (i) प्रत्येक प्रस्तावित प्रवर्तकों / निदेशकों / शेयरधारकों के संबंध में अलग फार्म प्रस्तुत की जानी चाहिए।		

अनुबंध III - भाग (ii)

कारपोरेट प्रमोटर के बारे में जानकारी

क्रमांक.	आवश्यक विवरण	प्रतिक्रिया
1	नाम	
2	व्यावसायिक पता	
3	ई-मेल पता / टेलीफोन नंबर	
4	आयकर अधिनियम के तहत पैन संख्या	
5	अनुपालन अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण	
6	व्यापार की लाइन	
7	उनके प्रमुख शेयरधारकों (10% से अधिक) का विवरण और गतिविधि की लाइन , अगर कॉरपोरेट्स हो तो	
8	प्रिंसिपल बैंकरों / विदेशी बैंकरों का नाम *	
9	नियामकों के नाम (आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी अन्य विदेशी नियामक)	
10	समूह में कंपनीयो का नाम जो उचित मानदंड निर्देश में परिभाषित है	
11	समूह में कंपनीयो का नाम जो एनबीएफसी हैं	
12	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुकदमा चलाया गया है या जमा स्वीकार करने से मना कर दिया गया है, ऐसी समूह की कंपनियों के नाम निर्दिष्ट करें?	
13	आर्थिक कानूनों और नियमों के उल्लंघन के लिए कारपोरेट के खिलाफ या ऐसी संस्थाओं में से किसी के खिलाफ जिसके साथ अतीत में व्यक्ति जुड़ा हुआ है लंबित या शुरू अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
14	कारपोरेट द्वारा किसी भी संस्था या बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में पिछले 5 वर्षों में डिफ़ॉल्ट के	

	मामले, यदि कोई हो	
15	क्या कारपोरेट को सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने पर किसी भी जांच के अधीन कर दिया गया है	
16	क्या किसी भी समय में कारपोरेट को सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है , विवरण दें	
17	क्या प्रमोटर कारपोरेट / कारपोरेट का बहुमत शेयरधारक, यदि कारपोरेट हो तो ने भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है जो कभी अस्वीकार कर दिया गया है	

हस्ताक्षर:
नाम:
पदनाम:
कंपनी की मोहर :
तारीख :
स्थान :
* **विदेशी कारपोरेट के लिए**

अनुबंध IV

सीआईसी द्वारा एनसीडी (1वर्ष से अधिक समय पर परिपक्वता) का प्राइवेट प्लेसमेंट पर दिशानिदेश:

1. एनबीएफसी को स्रोत योजना के लिए बोर्ड अनुमोदित नीति प्रस्तुत करनी होगी जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, योजना क्षितिज़ तथा प्राइवेट प्लेसमेंट की आवधिकता कवर हो।

2. यह मामला निम्नलिखित निदेशों द्वारा विनियमित होगा:

(i) प्रत्येक निवेशक द्वारा न्यूनतम ₹20,000(बीस हजार रूपए) का अभिदान होगा;

(ii) एनसीडी का प्राइवेट प्लेसमेंट का निर्गम दो श्रेणियों में होगा जैसे प्रत्येक निवेश द्वारा अधिकतम ₹1 करोड़ से कम अभिदान वाली तथा ₹1 करोड़ तथा उससे अधिक अभिदान वाली;

(iii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अधिकतम ₹1 करोड़ से कम एनसीडी जारी करने के लिए अभिदान की सीमा 200 होगी तथा इस प्रकार का अभिदान पूर्णत: प्रतिभूत होंगे;

(iv) ₹ 1 करोड़ तथा उससे अधिक एनसीडी जारी करने के संबंध में अभिदान की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी तथा अभिदानकर्ता के पक्ष में प्रतिभूति बनाने का विकल्प जारीकर्ता के पास होगा। कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के अनुसार ऐसे प्रतिभूत रहित डिबेंचर को सार्वजनिक जमाराशि नहीं माना जाएगा।

(v) सीआईसी अपनी डिबेंचर (प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा सार्वजनिक निर्गम दोनों प्रकार के डिबेंचर) को प्रतिभूत रख कर ऋण नहीं दे सकती है।

3. सीआईसी द्वारा दी जाने वाली कर छूट वाली बॉण्ड को इस परिपत्र की प्रयोजनियता से छूट प्राप्त है।

4. एक वर्ष की परिपक्वता वाली एनसीडी के लिए, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपरिवर्तनीय डिबेंचर का निर्गमन (रिज़र्व बैंक) निदेश-2010 पर जारी 23 जून 2010 का दिशानिदेश लागू होगा।

अनुबंध V

एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश

1. परिचय

1.1 आउटसोर्सिंग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है - एनबीएफसी द्वारा निरन्तरता के आधार पर किसी तीसरे पक्ष (जो किसी कार्पोरेट समूह के भीतर एक सम्बद्ध संस्था हो या उस कार्पोरेट समूह से बाहर की संस्था हो) के माध्यम से उन गतिविधियों को, वर्तमान या भविष्य में कराना जिन्हें सामान्यतः एनबीएफसी स्वयं करते हैं। निरंतरता के आधार' के अंतर्गत सीमित अवधि के करार भी शामिल होंगे ।

1.2 एनबीएफसी विभिन्न गतिविधियों की व्यापक आउटसोर्सिंग कर रहे हैं और इस प्रकार पैरा 5.3 में गए विवरण के अनुसार अनेक जोखिम उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग गतिविधियों को नियामक सीमा के अन्तर्गत लाया जाना है ताकि ग्राहकों के हित की रक्षा हो सके। तथा सेवा प्रदाता की सभी बहियों, अभिलेखों और उपलब्ध सूचना तक संबंधित एनबीएफसी और भारतीय रिज़र्व बैंक की पहुँच सुनिश्चित की जा सके। सामान्य रूप से जिन वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग की जाती है उनमें अन्य के साथ-साथ आवेदनों की प्रोसेसिंग (ऋण का आरम्भ, क्रेडिट कार्ड), प्रलेखों /दस्तावेजों की प्रोसेसिंग, विपणन और शोध, ऋण का पर्यवेक्षण, डेटा प्रोसेसिंग और आंतरिक परिचालन (बैक ऑफिस) से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं ।

1.3 आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण जोखिम हैं - कार्य नीतिगत जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, अनुपालन जोखिम, विधिक जोखिम, निर्गमन नीति जोखिम, प्रतिपक्षी जोखिम, देश जोखिम, संविदागत जोखिम, प्रवेश जोखिम, संकेंद्रण और सर्वांगी जोखिम। यदि सेवा प्रदाता विनिर्दिष्ट सेवा देने में चूक करे, सुरक्षा /गोपनीयता का उल्लंघन करे अथवा सेवा प्रदाता द्वारा विधिक और विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन न हो तो एनबीएफसी को वित्तीय हानि या प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है तथा इससे सर्वांगी जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है ।

1.4 अतः एनबीएफसी के लिए यह आवश्यक होगा कि अपनी गतिविधियों का आउटसोर्सिंग करते समय वे यह सूनिश्चित करें कि उक्त गतिविधियों की आउटसोर्सिंग से उत्पन्न जोखिम के संबंध में प्रभावी पर्यवेक्षण और सावधानी बरतने तथा जोखिम प्रबंध करने के लिए उत्कृष्ट और सम्यक जोखिम प्रबंध

पद्धतियाँ अपनाई जाए । ये निदेश भारत या अन्यत्र स्थित सेवा प्रदाता के साथ पैरा 3 में की गई व्याख्या के अनुसार एनबीएफसी द्वारा की गयी महत्त्वपूर्ण आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर लागू होंगे । एनबीएफसी जिस समूह / संगुट का सदस्य हो, सेवा प्रदाता उसका सदस्य हो सकता है अथवा समूह से असम्बद्ध पक्ष हो सकता है।

1.5 इन निदेशों का अन्तर्निहित सिद्धान्त यह है कि विनियमित संस्था यह सुनिश्चित करे कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के कारण ग्राहकों और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रति दयित्व पूर्ति की उसकी क्षमता में कमी नहीं होगी और न ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण में कोई बाधा पहुँचेगी । अतः एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना होगा कि सेवा प्रदाता सेवा प्रदान करने में उतने ही उच्च स्तर की सावधानी बरतता है, जितनी तब एनबीएफसी बरतता, यदि आउटसोर्स की गई गतिविधियाँ एनबीएफसी के भीतर ही रहती और उनकी आउटसोर्सिंग नहीं होती । अतः एनबीएफसी को ऐसी आउटसोर्सिंग नहीं करनी चाहिए जिनसे उनका आंतरिक नियंत्रण, कारोबारी आचरण या प्रतिष्ठा प्रभावित हो या क्षीण हो ।

1.6 (i) ये निदेश वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग से संबंधित जोखिम प्रबंधन से जुड़ा हुआ है और न कि तकनीकी संबंधित विषयों अथवा जो वित्तीय सेवाओं से संबंधित नहीं है जैसे कि कूरियर सेवा, स्टाफ के लिए खानपान, हाउसकीपिंग तथा साफ-सफाई सेवाएं, परिसरों की सुरक्षा, रिकॉर्डों को लाना-ले जाना और रख-रखाव इत्यादि। वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के इच्छुक एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है । तथापि ऐसी व्यवस्था भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऑन साइट/ऑफ साइट अनुवीक्षण और निरीक्षण / जांच के अधीन होगी।

(ii) क्रेडिट कार्डों से जुड़ी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के 21 नवंबर 2005 के परिपत्र डीबीओडी.एफएसडी.बीसी.49/24.01.011/2005-06 में निहत क्रेडिट कार्ड गतिविधियों संबंधी विस्तृत निर्देश लागू होंगे ।

2. ऐसी गतिविधियाँ जिनकी आउटसोर्सिंग नहीं की जानी है

जो एनबीएफसी वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने का निर्णय लेते हैं उन्हें आंतरिक लेखा परीक्षा, कार्यनीतिक तथा अनुपालन कार्य और निर्णय लेने से संबंधी कार्य, उदाहरण के लिए जमा खाता खोलने के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना, ऋण (खुदरा ऋण सहित) की

मंजूरी देना और निवेश संविभाग का प्रबंध जैसे मुख्य प्रबंध संबंधी कार्यों की आउटसोर्सिंग नहीं करनी चाहिए। तथापि, समूह/संगुट में शामिल एनबीएफसी के लिए इन गतिविधियों का आउटसोर्सिंग अपने समूह में की जा सकती है, बशर्ते कि पैरा 6 में दिये गए निर्देशों का अनुपालन किया जाए। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य जहां स्वयं में प्रबंधन प्रक्रिया है, वहां आंतरिक लेखा परीक्षक ठेके पर रखे जा सकते हैं।

3. महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग

इन निदेशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग व्यवस्थाएँ वे हैं जिनके बाधित होने पर कारोबारी परिचालन, प्रतिष्ठा, लाभप्रदता अथवा ग्राहक सेवा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है । आउटसोर्सिंग की महत्ता निम्नलिखित पर आधरित होगी -

- आउटसोर्स की जा रही गतिविधि की एनबीएफसी के लिए महता का स्तर तथा इससे जुड़े जोखिम की महता ।

- आउटसोर्सिंग का एनबीएफसी के विभिन्न परिमापों यथा एनबीएफसी की आय, ऋण शोधन क्षमता, निधीयन पूंजी और जोखिम के स्वरूप पर प्रभाव ।

- यदि सेवा प्रदाता सेवा न दे सके तो एनबीएफसी की प्रतिष्ठा और ब्रांड मूल्य तथा कारोबारी उद्देश्य, रणनीति और योजनाओं को कार्यान्वित करने की एनबीएफसी की योग्यता पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव ।

- एनबीएफसी की कुल परिचालन लागत के अनुपात के रूप में आउटसोर्सिंग की लागत ।

- यदि एनबीएफसी एक ही सेवा प्रदाता को विभिन्न कार्यों की आउटसोर्सिंग करता है और उसका ग्राहक सेवा पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाग पड़ता है तो आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता के प्रति कुल एक्सपोज़र तथा

- ग्राहक सेवा और सुरक्षा के संबंध में आउटसोर्स की गई गतिविधियों का महत्त्व।

4. एनबीएफसी की भूमिका तथा विनियामक और पर्यवेक्षीय अपेक्षाएँ

4.1 एनबीएफसी द्वारा अपनी किसी गतिविधि की आउटसोर्सिंग करने से एनबीएफसी का, उसके बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधतंत्र का दयित्व कम नहीं होता, क्योंकि आउटसोर्स की गयी गतिविधि का अन्तिम दायित्व उन्हीं पर है । अतः, एनबीएफसी प्रत्यक्ष बिक्री एजेन्ट /प्रत्यक्ष विपणन एजेन्ट और वसूली एजेन्टों सहित अपने सेवा प्रदाता के कार्यों तथा सेवा प्रदाता के पास ग्राहकों से संबंधित उपलब्ध सूचना की गोपनीयता के संबंध में उत्तरदायी होगा । एनबीएफसी के पास आउटसोर्स की गयी गतिविधि के संबंध में अंतिम नियंत्रण रहना चाहिए।

4.2 एनबीएफसी के लिए यह आवश्यक है कि आउटसोर्सिंग के संबंध में उचित सावधानी बरतते /समुचित छानबीन करते समय सभी संबंधित कानून, विनियमावली, मार्ग निर्देश, अनुमोदन, लाइसेंसिंग और पंजीकरण की शर्तों पर विचार करें ।

4.3 आउटसोर्सिंग व्यवस्था से एनबीएफसी के विरुद्ध ग्राहक का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए तथा संबंधित कानून के अंतर्गत समाधान प्राप्त करने की ग्राहक की क्षमता भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए । चूंकि ग्राहकों को एनबीएफसी से कारोबार करने के क्रम में सेवा प्रदाता से कारोबार करना पड़ता है, अतः ऐसी स्थिति में एनबीएफसी को अपने उत्पाद साहित्य/पर्चे में इस प्रावधान को शामिल करना चाहिए कि एनबीएफसी अपने उत्पादों की बिक्री /विपणन आदि के लिए एजेंटों की सेवा लेगा । एजेन्टों की भूमिका मोटे तौर पर बतायी जानी चाहिए ।

4.4 सेवा प्रदाता आउटसोर्स की गयी गतिविधियों का प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण और प्रबंध करने की एनबीएफसी की क्षमता प्रभावित नहीं होनी चाहिए तथा न तो भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षीय कार्य और उद्देश्यों की पूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न होनी चाहिए ।

4.5 एनबीएफसी के पास शिकायत निवारण की सुदृढ़ प्रणाली होनी चाहिए,जिसमें आउटसोर्सिंग के कारण कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए ।

4.6 यदि सेवा प्रदाता एनबीएफसी की कोई समूह की कंपनी न हो तो वह एनबीएफसी के किसी निदेशक या कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दिए गए अर्थ के अनुसार उनके संबंधियों द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित नहीं होना चाहिए।

5. आउटसोर्स की गयी वित्तीय सेवाओं के संबंध में जोखिम प्रबंध पद्धतियाँ

5.1 आउटसोर्सिंग नीति

यदि कोई एनबीएफसी अपनी किसी वित्तीय गतिविधि की आउटसोर्सिंग करना चाहती है तो उसे एक समग्र आउटसोर्सिंग नीति बनानी चाहिए, जिसका अनुमोदन एनबीएफसी के बोर्ड ने किया हो तथा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी गतिविधियों और सेवा प्रदाता के चयन की कसौटी, जोखिम और महत्ता के आधार पर प्राधिकार का प्रत्यायोजन तथा इन गतिविधियों के परिचालन की समीक्षा और निगरानी की प्रणाली शामिल होनी चाहिए ।

5.2 बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका

5.2.1 बोर्ड की भूमिका

एनबीएफसी का बोर्ड या बोर्ड की ऐसी समिति जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी-

i. वर्तमान और भावी सभी आउटसोर्सिंग के जोखिमों और महत्ता के मूल्यांकन तथा ऐसी व्यवस्थाओं पर लागू नीतियों के मूल्यांकन की एक प्रणाली का अनुमोदन करना;

ii. जोखिमों और महत्ता के आधार पर आउटसोर्सिंग के लिए उपयुक्त अनुमोदन करनेवाले प्राधिकरियों का निर्धारण करना;

iii. इन निदेशों के अनुपालन के लिए वरिष्ठ प्रबंधन का एक उपयुक्त प्राशसनिक ढांचा गठित करना;

iv. आउटसोर्सिंग जारी रखने की प्रासंगिकता तथा उनकी सुरक्षा और सुदृढ़ता के लिए आउटसोर्सिंग कार्य नीतियों और व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करना;

v. आउटसोर्स की जानेवाली महत्वपूर्ण स्वरूप की कारोबारी गतिविधि के संबंध में निर्णय लेना और ऐसी व्यवस्थाओं का अनुमोदन करना।

5.2.2 वरिष्ठ प्रबंधन के उत्तरदायित्व

i. बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रणाली के आधार पर सभी वर्तमान और भावी आउटसोर्सिंग के जोखिमों और महत्ता का मूल्यांकन करना;

ii. आउटसोर्सिंग गतिविधियों के स्वरूप, संभावना और जटिलता के अनुरूप सुदृढ़ और विवेकपूर्ण आउटसोर्सिंग नीतियां और क्रियविधियां विकसित करना और उन्हें कार्यान्वित करना;

iii. नीतियों और क्रियविधियों की कारगरता की आवधिक रूप से समीक्षा करना;

iv. महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग जोखिमों से संबंधित जानकारी बोर्ड को समय पर देना;

v. यह सुनिश्चित करना कि वास्तविक और संभवित विघटनकारी स्थितियो पर आधरित आकस्मिकता योजनाएं बनायी जाती हैं और उनका परीक्षण किया जाता है;

vi. यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित नीतियों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र समीक्षा और लेखा परीक्षा की जाती है और

vii. आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं की आवधिक रूप से समीक्षा करना ताकि उत्पन्न होने वाले नये महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग जोखिमों का पता लगाया जा सके ।

5.3 जोखिमों का मूल्यांकन

एनबीएफसी द्वारा आउटसोर्सिंग के निम्नलिखित मुख्य जोखिमों का मूल्यांकन और उससे निपटने की ज़रूरत है -

(क) कार्य नीतिगत जोखिम - सेवा प्रदाता अपनी ओर से कोई ऐसा कारोबार कर रहा है, जो एनबीएफसी के समग्र कार्य नीतिगत लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है ।

(ख) प्रतिष्ठा जोखिम - सेवा प्रदाता की खराब सेवा, ग्राहकों के साथ उसका परस्पर संपर्क एनबीएफसी के समग्र मानकों/स्तर के अनुरूप न हो ।

(ग) अनुपालन जोखिम - गोपनीयता, उपभोक्ता और विवेकपूर्ण कानूनों का पर्याप्त रूप से अनुपालन न किया जाना ।

(घ) परिचालन जोखिम - टेक्नोलॉजी फेल होने, धोखाधड़ी, गलती, दयित्वों को पूरा करने तथा/या उनके उपायों के लिए अपर्याप्त वित्तीय क्षमता से होनेवाले जोखिम ।

(ड) विधिक जोखिम - इसमें सेवा प्रदाता की गलती के कारण पर्यवेक्षी कार्रवाई तथा निजी निपटानों के फलस्वरूप लगनेवाले जुर्माने, दंड या दंडात्मक हानि शामिल है।

(च) निर्गमन कार्य नीति जोखिम - यह जोखिम एक ही फर्म पर अत्यधिक निर्भरता तथा एनबीएफसी में संबंधित कौशल की हानि से हो सकती है, जिससे उस गतिविधि को वापस आंतरिक रूप से एनबीएफसी में नहीं लाया जा सकता । यह जोखिम तब भी उत्पन्न होती है जब ऐसी संविदाएं की गयी हों जिनसे जल्दी बाहर निकलना अत्यधिक खर्चीला सिद्ध हो ।

(छ) प्रतिपक्षी जोखिम - अनुपयुक्त हामीदारी या साख मूल्यांकन के कारण होनेवाला जोखिम ।

(ज) संविदागत जोखिम - यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि संविदा लागू करने की एनबीएफसी की क्षमता है या नहीं ।

(झ) संकेंद्रण और सर्वांगी जोखिम - जहां किसी सेवा प्रदाता पर समग्र उद्योग जगत अत्यधिक रूप से निर्भर हो और इस प्रकार एनबीएफसी इस सेवा प्रदाता पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकता है। ।

(ञ) देश संबंधी जोखिम - राजनैतिक, सामाजिक या कानूनी वातावरण के कारण निर्मित होनेवाली अतिरिक्त जोखिम ।

5.4 सेवा प्रदाता की क्षमता का मूल्यांकन करना

5.4.1 आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर विचार करते समय या समीक्षा करते समय आउटसोर्सिंग व्यवस्था में निहित दायित्वों की सेवा प्रदाता द्वारा अनुपालन करने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए उचित सतर्कता बरती जानी चाहिए । उचित सतर्कता के अंतर्गत गुणात्मक और मात्रात्मक, वित्तीय, परिचालन तथा प्रतिष्ठा संबंधी तत्वों को ध्यान में रखा जाना चाहिए । एनबीएफसी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या सेवा प्रदाताओं की प्रणाली उनकी अपनी प्रणाली के अनुरूप है तथा ग्राहक सेवा क्षेत्र सहित क्या उनके कार्य निष्पादन का स्तर उन्हें स्वीकार्य है । सेवा प्रदाता की क्षमता का मूल्यांकन करते समय एनबीएफसी को एक ही सेवा प्रदाता के साथ आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं के अनुचित संकेंद्रण से संबंधित मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए । जहां कहीं संभव हो, वहां एनबीएफसी को अपने निष्कर्षों के समर्थन में सेवा प्रदाता के संबंध में स्वतंत्र समीक्षाएं और बाज़ार का फीडबैक प्राप्त करना चाहिए ।

5.4.2 उचित सतर्कता के अंतर्गत सेवा प्रदाता के बारे में उपलब्ध सभी सूचना का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए । उसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं है -

(i) संविदागत अवधि में प्रस्तावित गतिविधि के कार्यान्वयन और समर्थन हेतु पिछला अनुभव और क्षमता;

(ii) विपरीत परिस्थितियों में भी वायदों को पूरा करने की वित्तीय सुदृढ़ता और क्षमता;

(iii) कारोबारी प्रतिष्ठा और संस्कृति, अनुपालन, शिकायतें और वर्तमान या संभावित मुकदमा;

(iv) सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रण, लेखा परीक्षा व्याप्ति, सूचना और निगरानी प्रणाली, कारोबार निरंतरता प्रबंधन और

(v) अपने कर्मचारियों के संबंध में सेवा प्रदाता द्वारा उचित सतर्कता सुनिश्चित करना।

5.5 आउटसोर्सिंग करार

एनबीएफसी और सेवा प्रदाता के बीच संविदा को नियंत्रित करनेवाली शर्तें लिखित करार में सावधानीपूर्वक परिभाषित की जानी चाहिए तथा एनबीएफसी के विधि परामर्शदाता द्वारा उनके कानूनी प्रभाव एवं प्रवर्तनीयता की जांच की जानी चाहिए । ऐसे प्रत्येक करार में जोखिमों और उन्हें कम करने की कार्य नीतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए । करार पर्याप्त रूप से लचीला हो जिससे एनबीएफसी आउटसोर्सिंग पर उचित नियंत्रण बनाये रख सके तथा कानूनी और विनियामक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उचित उपायों के साथ दखल देने का उसे अधिकार हो । करार में पक्षकारों के बीच कानूनी संबंध का स्वरूप भी बताया जाना चाहिए - अर्थात् यह संबंध एजेंट, प्रधान या अन्य प्रकार का है । संविदा के कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नप्रकार होंगे -

i. संविदा में स्पष्ट रूप से यह परिभाषित किया जाए कि कौन सी गतिविधियां आउटसोर्स की जानेवाली हैं तथा उनकी उपयुक्त सेवा और कार्य निष्पादन मानक क्या होंगे;

ii. एनबीएफसी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि आउटसोर्स की जानेवाली गतिविधि के लिए प्रासंगिक सेवा प्रदाता के पास उपलब्ध सभी बहियों, रिकॉर्डों और सूचना प्राप्त करने की उसकी क्षमता है;

iii. संविदा में एनबीएफसी द्वारा सेवा प्रदाता की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन का प्रावधान होना चाहिए ताकि कोई भी आवश्यक सुधारात्मक उपाय तत्काल किया जा सके;

iv. समापन शर्त और समापन प्रावधान निष्पदित करने की न्यूनतम अवधियां, यदि आवश्यक समझा जाए तो, शामिल की जानी चाहिए;

v. ऐसे नियंत्रण जिनसे ग्राहक संबंधी आँकड़ों की गोपनीयता तथा सुरक्षा भंग करने और ग्राहक से संबंधित गोपनीय सूचना लीक होने के मामले में सेवा प्रदाताओं की देयता सुनिश्चित हो;

vi. कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक योजनाएं;

vii. सेवा प्रदाता द्वारा आउटसोर्स की जानेवाली सभी गतिविधि या उसके किसी भाग के लिए उप कांट्रक्टर का उपयोग करने के लिए संविदा में एनबीएफसी द्वारा पूर्व अनुमोदन/सहमति का प्रावधान होना चाहिए;

viii. एनबीएफसी द्वारा उसके आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा अथवा उसकी ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त एजेंटों द्वारा लेखा परीक्षा करने के तथा एनबीएफसी के लिए दी गयी सेवा के साथ सेवा प्रदाता के संबंध में की गयी लेखा परीक्षा या समीक्षा रिपोर्टों तथा निष्कर्षों की प्रतियां प्राप्त करने के अधिकार का प्रावधान हो;

ix. आउटसोर्सिंग करार में ऐसे खंड शामिल होने चाहिए जिनसे भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को सेवा प्रदाता को दी गयी या उसके पास रखी गयी अथवा उसके द्वारा प्रोसेस किये गये एनबीएफसी के दस्तावेज, लेनदेनों के रिकार्ड तथा अन्य आवश्यक सूचना उचित समय के भीतर प्राप्त की जा सके;

x. आउटसोर्सिंग करार में ऐसा खंड भी शामिल होना चाहिए जिसमें रिज़र्व बैंक के किसी एक या अधिक अधिकरियों या कर्मचरियां या अन्य व्यक्तियों द्वारा एनबीएफसी के सेवा प्रदाता और उसकी बहियों तथा खाते का निरीक्षण करने के अधिकार को स्वीकार किया गया हो;

xi. आउटसोर्सिंग करार में यह भी प्रावधान होना चाहिए कि संविदा समाप्त होने या समाप्त किये जाने के बाद भी ग्राहक संबंधी सूचना की गोपनीयता बनाये रखी जाएगी; और

xii. आउटसोर्सिंग करार में सेवा काल की समाप्ति के पश्चात भी सेवा प्रदाता द्वारा एनबीएफसी के हित में दस्तावेज और डाटा परिरक्षण के लिए विधिक दायित्व के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा।

5.6 गोपनीयता तथा सुरक्षा

5.6.1 एनबीएफसी पर आम जनता का भरोसा तथा ग्राहक का विश्वास एनबीएफसी की स्थिरता तथा प्रतिष्ठा की पूर्वापेक्षा है । अतः एनबीएफसी को चाहिए कि वह अपनी अभिरक्षा में अथवा सेवा प्रदाता के पास जो भी ग्राहक संबंधी जानकारी है उसकी सुरक्षा तथा गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करे ।

5.6.2 सेवा प्रदाता के स्टाफ की ग्राहक संबंधी जानकारी तक पहुंच 'जानना आवश्यक' आधार पर होनी चाहिए अर्थात् पहुंच उन क्षेत्रों तक सीमित रहनी चाहिए जहां आउटसोर्स किए गए कार्य के निष्पादन के लिए वह जानकारी आवश्यक है ।

5.6.3 एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनबीएफसी के ग्राहक से संबंधित जानकारी, दस्तावेज, अभिलेख तथा परिसंपत्ति को सेवा प्रदाता अलग तथा स्पष्टरूप से पहचान सकता है ताकि जानकारी की गोपनीयता सुरक्षित रह सकती है । उस स्थिति में जहां सेवा प्रदाता अनेक एनबीएफसी के लिए आउटसोर्सिंग एजेंट का कार्य करता है, वहां प्रभावशाली सुरक्षा उपाय बनाने की सावधानी बरतनी चाहिए जिससे जानकारी / दस्तावेज, अभिलेख तथा परिसंपत्तियों का आपस में मिश्रण नहीं होगा ।

5.6.4 एनबीएफसी को सेवा प्रदाता की सुरक्षा पद्धतियों तथा नियंत्रण प्रक्रियाओं की नियमित आधार पर समीक्षा तथा निगरानी करनी चाहिए तथा सेवा प्रदाता से सुरक्षा के उल्लंघनों की जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए ।

5.6.5 ग्राहक से संबंधित गोपनीय जानकारी के प्रकट होने तथा सुरक्षा में किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने की स्थिति में एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्काल सूचित करना चाहिए । इस तरह की घटनाओं में एनबीएफसी किसी भी क्षति के लिए अपने ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी होगा ।

5.7 प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट /प्रत्यक्ष विपणन एजेंट/ वसूली एजेंट की जिम्मेदरियां

5.7.1 एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट /प्रत्यक्ष विपणन एजेंट /वसूली एजेंट को उनकी जिम्मेदरियों को, विशेषतः नये ग्राहक बनाना, फोन करने का समय, ग्राहक संबंधी

जानकारी की गोपनीयता तथा प्रस्तावित उत्पादों की सही शर्तें बताने आदि से संबंधित पहलुओं को सावधानी तथा संवेदनशीलता से पूरा करने के लिए समूचित रीति से प्रशिक्षित किया गया है ।

5.7.2 एनबीएफसी डीएसए/डीएमए/वसूली एजेंट के लिए अपने बोर्ड से अनुमोदित उचित व्यवहार संहिता लागू करेंगे और उनसे इस संहिता का अनुपालन संबंधी स्वीकृति प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त वसूली एजेंटों को एनबीएफसी संबंधी उचित व्यवहार संहिता में शामिल अनुदेश तथा बकाये की वसूली तथा प्रतिभूति के पुनर्ग्रहण के संबंध में उनकी अपनी संहिता का भी पालन करना होगा । यह आवश्यक है कि वसूली एजेंट ऐसी कोई कार्रवाई न करें जिससे एनबीएफसी की ईमानदारी तथा प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचे और इसके साथ ही उन्हें ग्राहक गोपनीयता का कड़ाई से पालन करना चाहिए ।

5.7.3 एनबीएफसी तथा उनके एजेंटों को अपने ऋण वसूली के प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शाब्दिक डाँट-डपट अथवा शारीरिक उत्पीड़न का सहारा नहीं लेना चाहिए । इनमें ऋणकर्ता के परिवार के सदस्यों, मध्यस्थ (रेफरी) तथा उनके दोस्तों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना अथवा उनकी निजी जिन्दगी में हस्तक्षेप करना, धमकी देने वाले तथा बेनामी फोन करना अथवा झूठे तथा भ्रामक दुष्प्रचार करना भी शामिल हैं ।

5.8 कारोबार की निरंतरता तथा आपात्कालीन बहाली (डिज़ास्टर रिकवरी) योजना का प्रबंधन

5.8.1 एनबीएफसी को अपने सेवा प्रदाताओं से कारोबार की निरंतरता तथा बहाली क्रियाविधियों के प्रलेखन, उन्हें बनाए रखने तथा जांच के लिए एक संतुलित ढांचा विकसित तथा स्थापित करने की अपेक्षा करनी चाहिए । एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सेवा प्रदाता कारोबार निरंतरता तथा बहाली योजना की आवधिक रूप से जांच करता है तथा एनबीएफसी अपने सेवा प्रदाता के साथ सामयिक संयुक्त जांच तथा बहाली अभ्यास करने पर भी विचार करे ।

5.8.2 आउटसोर्सिंग करार की अप्रत्यशित समाप्ति अथवा सेवा प्रदाता के परिसमापन से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए एनबीएफसी को चाहिए कि वे अपने आउटसोर्सिंग पर उचित स्तर का नियंत्रण रखें तथा ऐसे मामलों में अत्यधिक व्यय किए बिना तथा एनबीएफसी के परिचालनों तथा उसके ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की रुकावट के बिना अपने कारोबार परिचालनों को जारी रखने के लिए उचित उपायों के साथ हस्तक्षेप करने का अधिकार रखें ।

5.8.3 एक सक्षम आकस्मिकता योजना स्थापित करने के लिए, एनबीएफसी को वैकल्पिक सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता अथवा आपात स्थिति में आउटसोर्स किए गए काम को फिर से एनबीएफसी में करने के लिए वापस लाने की संभावना तथा ऐसा करने में जो लागत, समय व संसाधन खर्च होंगे उस पर विचार करना चाहिए ।

5.8.4 आउटसोर्सिंग से अक्सर सेवा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा प्रदाता एनबीएफसी की जानकारी, दस्तावेज तथा अभिलेख तथा अन्य परिसंपत्तियों को अलग करने की क्षमता रखते हैं । इससे यह सुनिश्चित होगा कि अनुकूल परिस्थितियों में सेवा प्रदाता को दिए गए सभी दस्तावेज, लेनदेन के अभिलेख तथा जानकारी तथा एनबीएफसी की परिसंपत्तियों को एनबीएफसी के कारोबार के परिचालनों को जारी रखने के लिए सेवा प्रदाता के पास से निकाला जा सकता है अथवा मिटाया, नष्ट अथवा अप्रयोज्य बनाया जा सकता है ।

5.9 आउटसोर्स किए गए कार्यों की निगरानी तथा नियंत्रण

5.9.1 एनबीएफसी के पास अपने आउटसोर्सिंग कार्यों की निगरानी तथा नियंत्रण के लिए एक प्रबंधन संरचना तैयार होनी चाहिए । उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा प्रदाता के साथ आउटसोर्सिंग करारों में आउटसोर्स किए गए कार्यों की उनके द्वारा निगरानी तथा नियंत्रण के प्रावधान होने चाहिए ।

5.9.2 सभी महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग का एक केंद्रीय अभिलेख रहना चाहिए जो एनबीएफसी के बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंध तंत्र की समीक्षा के लिए तत्काल उपलब्ध हो। इन अभिलेखों को तत्काल अद्यतन किया जाना चाहिए तथा बोर्ड अथवा जोखिम प्रबंधन समिति के समक्ष अर्धवार्षिक समीक्षाएं रखी जानी चाहिए ।

5.9.3 एनबीएफसी के आंतरिक लेखा परीक्षकों अथवा बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित लेखा परीक्षा से आउटसोर्सिंग व्यवस्था के निरीक्षण तथा प्रबंधन में अपनाई गयी जोखिम प्रबंध पद्धतियों की पर्याप्तता, अपने जोखिम प्रबंध ढांचे तथा इन निदेशों की अपेक्षाओं का एनबीएफसी द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन किया जाए ।

5.9.4 एनबीएफसी को कम-से-कम वार्षिक आधार पर सेवा प्रदाता की वित्तीय तथा परिचालन स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए जिससे उसकी अपने आउटसोर्सिंग दयित्वों को पूरा करते रहने की क्षमता का

मूल्यांकन होगा । ऐसी उचित सावधानी समीक्षाओं में जो सेवा प्रदाता से संबंधित समस्त उपलब्ध जानकारी पर आधरित होंगी, कार्यनिष्पादन मानकों, गोपनीयता तथा सुरक्षा और कारोबार की निरंतरता को बनाए रखने की तत्परता में किसी प्रकार की गिरावट अथवा उल्लंघन को विशिष्ट रूप से दर्शाया जाए ।

5.9.5 किसी भी कारण से ऑउटसोर्सिंग करार की समप्ति हो, जिसमें सेवा प्रदाता ग्राहकों से कोई कारोबार करता है, तो इसे प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित कर, वेबसाइट पर अपलोड कर और ग्राहकों को सूचित करके प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहक सेवा प्रदाता से सेवा लेना जारी नहीं रखें ।

5.9.6 कुछ मामलों में जैसे नकद प्रबंधन के आउटसोर्सिंग में एनबीएफसी, सेवा प्रदाता और उसके उप ठेकेदारों के बीच हुए लेनदेन का मिलान करना शामिल है। ऐसे मामलों में एनबीएफसी यह सूनिश्चित करेगा कि एनबीएफसी और सेवा प्रदाता (और/अथवा उप ठेकेदार) के बीच लेन-देन का समय पर मिलान सुनिश्चित किया जाएगा। आउटसोर्स किये गए वेंडर के साथ लंबित प्रविष्टियों का बाद में विश्लेषण कर लेखा परीक्षा समिति बोर्ड (एसीबी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और एनबीएफसी पूराने शेष बचे मामलों को अतिशीघ्र कम करने के लिए प्रयास करेगी।

5.9.7 आउटसोर्स की गई सभी गतिविधियों की आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली होगी और इसकी निगरानी एनबीएफसी के एसीबी द्वारा किया जाएगा।

5.10 आउटसोर्स की गयी सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निवारण

i. एनबीएफसी को शिकायत निवारण प्रक्रिया पर आरबीआई के दिनांक 18 फरवरी 2003, के परिपत्र संख्या DNBS.CC.PD.No.320/03.10.01/2012-13 दिनांक 18 फरवरी, 2013 में दिये अनुसार शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगी । प्रचालन के स्तर पर सभी एनबीएफसी को अपने पदनामित शिकायत निवारण अधिकारी का नाम तथा संपर्क (फोन नंबर/ मोबाईल नंबर और साथ ही ईमेल आईडी को शाखाओं अथवा जिस स्थान पर कारोबार है उसे प्रकाशित करना चाहिए) का व्यापक प्रचार करना चाहिए । पदनामित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों की प्रामाणिक शिकायतों का अविलंब तथा तत्परता से निवारण होता है। यह स्पष्टतः दर्शाया जाए कि एनबीएफसी का शिकायत

निवारण तंत्र आउटसोर्स की गयी एजंसी द्वारा दी गयी सेवाओं से संबंधित मामलों पर भी कार्रवाई करेगा ।

ii. सामान्यतः, ग्राहकों को शिकायत प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की समय-सीमा दी जाए। एनबीएफसी की शिकायत निवारण क्रियाविधि तथा शिकायतों का उत्तर देने के लिए निर्धारित की गयी समय-सीमा बैंक की वेबसाइट पर रखी जाए ।

5.11 वित्तीय आसूचना इकाई अथवा अन्य सक्षम प्रधिकरियों को लेनदेन की रिपोर्ट करना

एनबीएफसी सेवा प्रदाता द्वारा किए गए एनबीएफसी के ग्राहकों से संबंधित कार्यों के संबंध में वित्तीय आसूचना इकाई अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट तथा संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी एनबीएफसी की होगी ।

6. समूह/संगुट के अंदर आउटसोर्सिंग

6.1 सामूहिक संरचना में, एनबीएफसी का बैक ऑफिस और समूह की संस्था के साथ सेवा व्यवस्था/करार हो सकता है, जैसे - परिसर को साझा करना, विधिक और अन्य व्यावसायिक सेवाएं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन, केंद्रीयकृत बैक-ऑफिस गतिविधियां, कुछ वित्तीय सेवाओं को समूह के अन्य संस्था को आउटसोर्स करना आदि। समूह की संस्था के साथ इसप्रकार की व्यवस्था करने से पहले, एनबीएफसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और समूह के अन्य संस्थाओं के साथ सेवा संबंधी करार/व्यवस्था भी हो, जिसमें संपदाओं यथा परिसर, कार्मिक इत्यादि को साझा करने के लिए निश्चित सीमा तय हो। इसके अतिरिक्त जहां कहीं भी अनेक सामूहिक कंपनियां शामिल हैं अथवा क्रोस सेलिंग होती है, तो ऐसे में ग्राहकों को विशेष रूप से यह सूचना दी जाए कि वास्तविक रूप से कौन सी कंपनी सेवा/उत्पाद दे रही है।

6.2 ऐसी व्यवस्था आरंभ करने से पहले एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगी कि ये-

a. करारों का विवरण जैसे कि सेवा का विस्तार, सेवा का शुल्क और ग्राहाकों के आंकड़े की गोपनीयता को बरकारर रखने सहित को उपयुक्त रूप से दस्तावेज में लिखा गया है;

b. एनबीएफसी और उनके समूह की अन्य कंपनियों की गतिविधियों के बीच स्थानों का भौतिक विभेद करके वे ग्राहकों के बीच यह भ्रम न रहने दें कि वे किनके उत्पाद/सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं;

c. स्वतंत्र रूप से एनबीएफसी की जोखिमों की पहचान करने और उसका प्रबंधन करने की क्षमता को पहचानने में किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए;

d. भारतीय रिज़र्व बैंक को पर्यवेक्षण के लिए एनबीएफसी अथवा पूरे समूह से संबंधित वांछित जानकारी प्राप्त करने से रोकना नहीं चाहिए;

e. लिखित करार में एक खंड डाला जाए कि किसी भी सेवा प्रदाता के लिए एनबीएफसी गतिविधियों से संबंधित आरबीआई द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा

6.3 एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि समूह की कंपनी द्वारा प्रदत्त परिसर अथवा अन्य सेवाओं (जैसे कि आईटी प्रणाली, सहायक स्टाफ) की उपलब्धता बाधित होने पर सुचारू ढंग से उनके कार्य करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6.4 यदि एनबीएफसी का परिसर समूह की कंपनियों द्वारा क्रोस सेलिंग के लिए साझा किया जाता है तो एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों के लिए कंपनी की पहचान स्पष्ट रूप से पता चले और कोई भ्रम न हो। एनबीएफसी के परिसर में समूह की कंपनी द्वारा प्रयुक्त विपणन ब्रोशर और इसके कार्मिकों/एजेंटों द्वारा मौखिक संवाद में एनबीएफसी के साथ उस कंपनी की व्यवस्थाओं की प्रकृति बतानी होगी ताकि ग्राहकों को उत्पाद के बिक्रेता के बारे में स्पष्ट जानकारी हो।

6.5 एनबीएफसी ऐसा कोई भी विज्ञापन नहीं देगा अथवा कोई करार करेगा जिसमें यह कहा गया हो अथवा सुझाव दिया गया हो अथवा बिना कहे इस बात का प्रभाव डाला जाए कि वह अपने समूह की कंपनियों के दायित्वों के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी है।

6.6 किसी संबंधित पार्टी (अर्थात समूह /संगुट के भीतर की पार्टी) को आउटसोर्स करते समय एनबीएफसी द्वारा अपनाये जाने वाले जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणाली वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि इस निर्देश के पैरा 5 में दिया गया है।

7. वित्तीय सेवाओं की विदेशी आउटसोर्सिंग

7.1 विदेश में सेवा प्रदाताओं को नियुक्त करने से एनबीएफसी को देश संबंधी जोखिम हो सकती है, जिसके अंतर्गत विदेश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियां तथा घटनाओं का एनबीएफसी पर

प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । ऐसी स्थितियाँ तथा घटनाएं सेवा प्रदाता को एनबीएफसी के साथ किए गए करार की शर्तों को पूरा करने से रोक सकती हैं । ऐसे आउटसोर्सिंग कार्यों में होने वाले देश संबंधी जोखिम के प्रबंधन के लिए एनबीएफसी को चाहिए कि वह जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तथा निरंतर आधार पर भी जिन देशों में सेवा प्रदाता स्थित है उन देशों की सरकारी नीतियों तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा विधिक स्थितियों को ध्यान में ले तथा कड़ी निगरानी रखें और देश संबंधी जोखिम की समस्याओं पर कार्रवाई करने के लिए सुदृढ़ क्रियाविधियां स्थापित करें । इसमें संकटकालीन तथा बहिर्गमन संबंधी उचित नीतियां शामिल हैं । सिद्धान्ततः, ऐसी व्यवस्थाएं केवल उन पक्षकारों के साथ होनी चाहिए जो ऐसे क्षेत्राधिकार में कार्य करती हों जहाँ सामान्यतः गोपनीयता संबंधी शर्तों तथा करारों का पालन किया जाता है । व्यवस्था को लागू करने वाले कानून का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।

7.2 भारत के बाहर आउटसोर्स किए गए कार्यो का संचालन इस तरह से किया जाए कि एनबीएफसी के भारत में किए जाने वाले कार्यों के समय पर पर्यवेक्षण करने अथवा पुनर्निर्माण करने के प्रयासों में रुकावट न आए ।

7.3 भारतीय प्रचालन से संबंधित वित्तीय सेवाओं के विदेशी आउटसोर्सिंग के संबंध में एनबीएफसी को उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना है कि

a. जहां विदेशी सेवा प्रदाता एक निगमित कंपनी है, तो संबंधित विदेशी नियामक कभी भी व्यवस्था में रूकावट उत्त्पन्न नहीं करेगा और न ही आरबीआई निरीक्षण दौरा/एनबीएफसी के आंतरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षक को रोकेगा।

b. प्रबंधन और आरबीआई के पास रिकॉर्ड की उपलब्धता तब तक रहेगी जब तक विदेशी संरक्षक अथवा भारत में एनबीएफसी दिवालिया नहीं हो जाते हैं।

c. विदेश स्थित विनियामक प्राधिकारी के पास, मात्र इस आधार पर कि प्रोसेसिंग वहां की जा रही है, (यदि ऑफसोर प्रोसेसिंग एनबीएफसी के देश में हो तो यह लागू नहीं है) एनबीएफसी के भारतीय गतिविधियों से संबंधित आंकड़े तक पहुंच नहीं होनी चाहिए।

d. विदेश स्थित स्थान जहां आंकड़े रखे जा रहे हों से संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार, इस आधार पर कि आंकड़े की प्रोसेसिंग वहां होती है, भले ही वास्तविक अंतरण भारत में हो, भारत में एनबीएफसी की गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे और

e. सभी मूल रिकार्ड भारत में ही रखे जाएंगे।